सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
5, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली – 110 001

विषय-सूची

अध्याय	विषय वस्तु	पृष्ठ सं
1.	प्रस्तावना	1
2.	आयोग की संरचना	4
3.	आयोग की बैठकें	11
4.	वर्ष के उल्लेखनीय बिंदु	14
5.	यात्रा और दौरे	37
6.	वर्ष के दौरान प्राप्त याचिकाओं और शिकायतों का विश्लेषण	43
7.	अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारों की वंचना और विश्वविद्यालयों से संबद्धता के मामले	58
8.	केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के हवाले तथा आयोग की अनुशंसाएं	59
9.	अल्पसंख्यकों की शिक्षा के समन्वित विकास के लिए अनुशंसाएं	63
10.	अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के उल्लंघन या वंचना के मामले	64
11.	सूचना का अधिकार (आरटीआई)	65
12.	निष्कर्ष	66
	अनुलग्नक – 1	70
	अनुलग्नक – 2	74
	अनुलग्नक – 3	77

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 सिंहावलोकन

''शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए एकल सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज्ञान एवं कौशल से समुचित रूप से लैस सुशिक्षित आबादी न केवल आर्थिक विकास में मदद के लिए आवश्यक है, अपितु विकास के समावेशी होने की शर्त भी है क्योंकि शिक्षित एवं कुशल व्यक्ति ही विकास से उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों का उपयोग कर सकता है।'' ('12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण' का पैरा 10.1)।

शिक्षा मंत्रालय समता एवं उत्कृष्टता के साथ भारत के मानव संसाधन की पूर्ण क्षमता को साकार करने के विजन के साथ समावेशी एजेंडा पर बल दे रहा है। सरकार शिक्षा में सभी अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत के संविधान ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की है कि इस तरह की सुरक्षा से हमारे देश के बहुलवादी चरित्र को लाभ मिल सकता है। अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार देने का उद्देश्य यह नहीं है कि उन्हें आबादी के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के रूप में माना जाए, बल्कि उन्हें सुरक्षा की भावना प्रदान करना है। अल्पसंख्यकों के लिए इन विशेष अधिकारों का उद्देश्य अल्पसंख्यक संस्थाओं का संरक्षण सुनिश्चित करके और उनके दिन–प्रतिदिन के कामकाज में स्वायत्तता की गारंटी प्रदान करके समानता लाना था। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है और यह निम्नलिखित का भी प्रावधान करता है –

(1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म पर आधारित हों या भाषा पर, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार होगा।

(1ए) खंड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और संचालित किसी शैक्षणिक संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण का प्रावधान करने वाला कोई कानून बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह की संपत्ति के अधिग्रहण के लिए इस तरह के कानून द्वारा नियत या इसके तहत निर्धारित राशि ऐसी होगी जो उस खंड के तहत प्रत्याभूत अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करेगी।

(2) शैक्षिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने में राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्था के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह किसी अल्पसंख्यक, चाहे वह धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, के प्रबंधन के अधीन है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में निहित शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) अधिनियम, 2004 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ

चित्र 1.1: भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय

'अल्पसंख्यक' का अर्थ केंद्र सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित समुदाय से है। केंद्र सरकार ने 6 समुदायों अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय (एमसी) के रूप में अधिसूचित किया है।

2011 की जनगणना के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदायों सहित विभिन्न समुदायों के लोगों का प्रतिशत एवं संख्या इस प्रकार है:

- हिंदू : 79.8 प्रतिशत (966.3 मिलियन),
- मुस्लिम : 14.23 प्रतिशत (172.2 मिलियन),
- ईसाई : 2.30 प्रतिशत (28.7 मिलियन),
- सिख : 1.72 प्रतिशत (20.8 मिलियन),
- बौद्ध : 0.7 प्रतिशत (8.5 मिलियन),
- जैन : .37 प्रतिशत (4.48 मिलियन),
- पारसी : 57264
- अन्य : 0.9 प्रतिशत (10.9 मिलियन)

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग स्थापित करने के लिए मांग शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षाविदों, प्रतिष्ठित नागरिकों, सामुदायिक नेताओं और अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़े अन्य हितधारकों के साथ आयोजित अनेक बैठकों में उठाई गई। अगस्त 2004 में, आयोजित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति की बैठक में विशेषज्ञों द्वारा इसी तरह की मांग की गई।

इस तरह की मांगों को ध्यान में रखते हुए नवंबर, 2004 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। उक्त अध्यादेश को संसद के अधिनियम से प्रतिस्थापित करने के लिए, दिसंबर 2004 में संसद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक, 2004 पेश किया गया। जनवरी 2005 में एनसीएमईआई अधिनियम अधिसूचित किया गया। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 11 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग को अधिसूचित किया और नई दिल्ली में स्थित इसके मुख्यालय के साथ 16 नवंबर 2004 को आयोग का गठन किया। 2005 से, आयोग जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली में किराए के आवास से काम कर रहा है।

आयोग ने 16 नवंबर, 2024 को अपनी स्थापना के 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे जो अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए दो दशकों की समर्पित सेवा का सबूत है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने और आयोग की स्थापना के बीस साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आयोग ने 18 दिसंबर, 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें माननीय

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और अल्पसंख्यक समुदाय के विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

1.3 आयोग के बारे में:

आयोग अर्ध न्यायिक निकाय है तथा इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं। आयोग में एक अध्यक्ष और तीन सदस्य शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। अध्यक्ष किसी अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होता है जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है तथा सदस्य किसी अल्पसंख्यक समुदाय से होते हैं और वे श्रेष्ठ, सक्षम एवं ईमानदार व्यक्ति होते हैं। आयोग की प्रमुख भूमिकाएँ हैं (i) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में किसी भी संस्थान की स्थिति से संबंधित सभी प्रश्नों पर निर्णय लेना और इस रूप में उसकी स्थिति की घोषणा करना (ii) अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना, जो इसे संदर्भित किया जा सकता है (iii) अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों से वंचित होने से संबंधित शिकायतों की जांच करना (iv) ऐसे अन्य कार्य और चीजें करना जो आयोग के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, प्रासंगिक या अनुकूल हों।

1.4 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006:

आयोग की प्रभावी कार्यपद्धति के लिए, अधिनियम में संशोधन करने के लिए सरकार को सिफारिशें की गईं। सरकार ने संसद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 प्रस्तुत किया। हालाँकि, संविधान के 93वें संशोधन के मद्देनजर, जिसने अनुच्छेद15 में खंड (5) जोड़ा था, अध्यादेश के माध्यम से एनसीएमईआई अधिनियम में संशोधन करना समीचीन हो गया। तदनुसार, सरकार द्वारा 23 जनवरी, 2006 को एक अध्यादेश अधिसूचित किया गया जिसका स्थान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 ने लिया जो 29 मार्च, 2006 को अधिसूचित हुआ।

1.5 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010:

अन्य बातों के अलावा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 में मुख्य परिवर्तन अधिनियम की धारा 10(1) में संशोधन था, जिसमें कहा गया है कि "उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित प्रावधानों के अधीन, कोई भी व्यक्ति, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करना चाहता है, उक्त उद्देश्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है।"

आयोग के प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाने के लिए आयोग में एक अतिरिक्त सदस्य के लिए प्रावधान करके अधिनियम की धारा 3(2) में संशोधन किया गया।

अध्याय 2

आयोग की संरचना

2.1 आयोग की संरचना एवं अन्य स्टाफ

अध्यक्ष आयोग के मुखिया हैं और इसके तीन सदस्य हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। वर्तमान में, आयोग में एक सदस्य हैं – प्रो० डॉ. शाहिद अख्तर जिन्होंने अपना पदभार 24 अगस्त, 2021 को ग्रहण किया।

आयोग ने शास्त्री भवन, नई दिल्ली से कार्य करना प्रारंभ किया था और अगस्त 2005 में जीवन तारा बिल्डिंग, पटेल चौक, नई दिल्ली में स्थानान्तरित हो गया। 2004 में, आवश्यक प्रशासनिक कार्य करने एवं कार्यालय सहायता प्रदान करने के लिए प्रारंभ में 22 पद संस्वीकृत किए थे। 2005 और 2006 में क्रमशः एक (01) और दस (10) अतिरिक्त पद संस्वीकृत किए गए। आयोग में कुल 33 संस्वीकृत पद हैं जिसमें सचिव, उप सचिव, वरिष्ठ पीपीएस, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के एक–एक पद शामिल हैं।

2.2 आयोग के कार्य:

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) तथा यथासंशोधित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 18) एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का 20) की धारा 11 के अनुसार, आयोग के कार्य हैं:

(क) अल्पसंख्यकों की शिक्षा से सम्बन्धित किसी प्रश्न, जो उसे संदर्भित किया जा सकता है, पर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देना;

(ख) अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों के अपवंचन या उल्लंघन से संबंधित शिकायतों और किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता से संबंधित किसी विवाद के बारे में स्वप्रेरणा से या किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका की जांच–पड़ताल करना तथा कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सरकार को अपने निष्कर्षों से अवगत कराना;

(ग) किसी न्यायालय के समक्ष ऐसे न्यायालय की अनुमति से अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के किसी अपवंचन या उल्लंघन से संबद्ध किसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना;

(घ) अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत अथवा उस समय प्रचलित किसी कानून के अन्तर्गत किए गए सुरक्षोपायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यन्वयन के लिए उपायों की अनुशंसा करना;

(ङ) अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित अपनी पसंद की संस्थाओं के अल्पसंख्यक दर्जा तथा स्वरुप के संवर्धन एवं संरक्षण के उपाय विनिर्दिष्ट करना;

(च) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रुप में किसी संस्था के दर्जा से संबंधित सभी प्रश्नों का विनिश्चय करना तथा इस रूप में उसके दर्जे की घोषणा करना;

(छ) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त सरकार को सिफारिशें करनाय और

(ज) ऐसे अन्य कार्य एवं चीजें करना जो आयोग के सभी या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

2.3 आयोग की शक्तियां

अधिनियम की धारा 12 के अनुसार आयोग की शक्तियां इस प्रकार हैंरू

(1) यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था तथा किसी विश्वविद्यालय के बीच ऐसे विश्वविद्यालय से उसकी संबद्धता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(2) इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आयोग के पास किसी वाद की सुनवाई के लिए और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में दिवानी न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थातः

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उससे पूछताछ करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 के उपबंधों के अधीन, किसी कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति मंगाना;

(ङ) गवाहों या दस्तावेज़ों की जांच के लिए सम्मन जारी करनाय और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जा सकता है।

(3) आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही मानी जाती है। आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय माना जाता है।

2.3.1 सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील:

जैसा कि अधिनियम की धारा 12क में प्रतिष्ठापित हैः

(1) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 10 की उपधारा (2) के तहत अनापत्ति प्रमाण

पत्र प्रदान करने से इन्कार करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के खिलाफ आयोग में अपील कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के तहत अपील उपधारा (1) में संदर्भित आदेश आवेदक को संप्रेषित किए जाने की तिथि से 30 दिन के अंदर दाखिल की जाएगी।

परंतु यह कि आयोग 30 दिन की उक्त अवधि बीत जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त अवधि के अंदर अपील दाखिल न करने के पर्याप्त कारण हैं।

(3) आयोग में अपील ऐसे रूप में जाएगी जो निर्धारित किया जा सकता है तथा उसके साथ उस आदेश की प्रति जमा की जाएगी जिसके विरूद्ध अपील की गई है।

(4) पक्षों को सुनने के बाद, आयोग यथाशीघ्र आदेश पारित करेगा और अपने आदेशों को लागू करने या अपनी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निर्देश देगा जो आवश्यक या समीचीन हो सकते हैं।

(5) आयोग द्वारा उपधारा (4) के तहत दिया गया आदेश दिवानी न्यायालय के आदेश की तरह आयोग द्वारा निष्पादन योग्य होगा और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के प्रावधान यथास्थिति उसी तरह लागू होंगे जिस तरह वे किसी दिवानी न्यायालय के किसी आदेश के संबंध में लागू होते हैं।

2.3.2 किसी शैक्षणिक संस्था के अल्पसंख्यक दर्जा के बारे में निर्णय लेने की आयोग की शक्ति:

किसी एमईआई के अल्पसंख्यक दर्जा के बारे में निर्णय लेने की शक्तियों को अधिनियम की धारा 12ख में शामिल किया गया है। प्रदान की गई शक्तियां इस प्रकार हैं :

(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर, यदि किसी शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के लिए यथास्थिति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकारी ऐसा दर्जा प्रदान करने के आवेदन को अस्वीकार कर देता है, तो व्यथित व्यक्ति प्राधिकारी के ऐसे आदेश के खिलाफ आयोग में अपील कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के तहत अपील आवेदक को आदेश संप्रेषित किए जाने की तिथि से 30 दिन के अंदर दाखिल की जाएगी। परंतु यह कि आयोग 30 दिन की अवधि बीत जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि उस अवधि के अंदर अपील दाखिल न करने के पर्याप्त कारण हैं।

(3) आयोग में अपील ऐसे रूप में जाएगी जो निर्धारित किया जा सकता है तथा उसके साथ उस आदेश की प्रति जमा की जाएगी जिसके विरूद्ध अपील की गई है।

(4) उपधारा (3) के तहत अपील प्राप्त होने

पर, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद आयोग शैक्षणिक संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में निर्णय ले सकता है और ऐसा निर्देश देने के लिए आगे बढ़ सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे तथा ऐसे सभी निर्देश पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे।

2.3.3 अल्पसंख्यक दर्जे को निरस्त करने की शक्ति

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 12ग में निरस्त करने की शक्ति का प्रदान की गई है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था जिसे यथास्थिति किसी प्राधिकारी या आयोग द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया गया है, को सुनवाई का तर्कसंगत अवसर प्रदान करने के बाद आयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसा दर्जा निरस्त कर सकता है, अर्थातः

(क) यदि शैक्षणिक संस्था की संरचना, उद्देश्यों और लक्ष्यों जिसके आधार पर उसने अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त किया है, में आगे चलकर ऐसे ढंग से परिवर्तन किए गए हैं कि अब यह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के प्रयोजन या चरित्र को नहीं दर्शाता है।

(ख) यदि निरीक्षण या अन्वेषण के दौरान अभिलेखों के सत्यापन पर पाया जाता है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था किसी शैक्षिक वर्ष के दौरान दाखिला को अभिशासित करने वाले नियमों के अनुसार तथा निर्धारित प्रतिशत में संस्था में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दाखिला देने में असफल हुई है।

2.3.4 अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के अपवंचन से संबंधित मामलों की छानबीन करने की आयोग की शक्ति:

अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के अपवंचन से संबंधित मामलों की छानबीन करने की शक्ति अधिनियम की धारा 12घ में प्रदान की गई है।

(1) आयोग के पास अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के अपवंचन से संबंधित शिकायतों की छानबीन करने के लिए शक्ति होगी।

(2) इस अधिनियम के तहत किसी शिकायत के संबंध में कोई जांच संचालित करने के लिए आयोग यथास्थिति केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सहमति से केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

(3) उपधारा (1) के तहत जांच के प्रयोजनार्थ अधिकारी जिसकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है, आयोग के निर्देश एवं नियंत्रण के अधीन निम्नलिखित कार्य कर सकता है :

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना तथा उससे पूछताछ करनाय;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करनाय और

(ग) किसी कार्यालय से कोई सरकारी अभिलेख या उसकी प्रति मंगाना।

(4) अधिकारी जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (2) के तहत किया जाता है, आयोग द्वारा सौंपे गए किसी मामले की जांच करेगा और आयोग को ऐसी अवधि के अंदर जो इस संबंध में आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है, उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) आयोग उपधारा (4) के तहत प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों तथा निकाले गए निष्कर्षों, यदि कोई हों, की सत्यता के बारे में अपनी संतुष्टि करेगा और इस प्रयोजनार्थ आयोग ऐसी अग्रेतर जांच कर सकता है जिसे यह उपयुक्त समझे।

2.3.5 सूचना मंगाने की आयोग की शक्ति

अधिनियम की धारा 12–ङ यह निर्धारित करती है कि आयोग की शक्तियां इस प्रकार हैं:

(1) अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के उल्लंघन या अपवंचन की शिकायतों की जांच करते समय आयोग केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकरण या संगठन से सूचना या रिपोर्ट ऐसे समय के अंदर मंगाएगा जो इसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:

परंतु यह कि:

(क) यदि आयोग द्वारा निर्धारित समय के अंदर सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो यह शिकायत की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकता है;

(ख) यदि सूचना या रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयोग इस बात के लिए संतुष्ट है कि अब और जांच की आवश्यकता नहीं है या यह कि संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई शुरू की गई है या की गई है, तो वह शिकायत पर अग्रेतर कार्यवाही नहीं कर सकता है और तद्नुसार शिकायतकर्ता को सूचित कर सकता है।

(2) यदि जांच से स्थापित होता है कि किसी सरकारी सेवक द्वारा अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों का उल्लंघन या अपवंचन किया गया है, तो आयोग संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या ऐसी अन्य कार्रवाई जिसे यह उपयुक्त समझे, शुरू करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है।

(3) आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकरण को अपनी सिफारिशों के साथ जांच रिपोर्ट की प्रति भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकरण, एक माह की अवधि के अंदर या ऐसी अगली अवधि के अंदर जिसे आयोग अनुमत कर सकता है, आयोग को रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां अग्रेषित करेगा जिसमें उस पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई शामिल होगी।

(4) आयोग अपनी जांच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकरण द्वारा की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा।

2.3.6 अधिकार क्षेत्र का वर्जन

जैसा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 12च में प्रतिष्ठापित है, कोई न्यायालय (संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अलावा) इस अध्याय के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में किसी वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाहियों पर विचार नहीं करेगा।

2.4 वित्त, लेखा एवं लेखा परीक्षा:

2.4.1 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान:

(1) संसद द्वारा इस संबंध में कानून द्वारा किए गए समुचित विनियोजन के बाद केन्द्र सरकार आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि प्रदान करेगी जिसे केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु उपयुक्त समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के तहत कार्यों के निष्पादन के लिए अनुदान को खर्च कर सकता है और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में संदर्भित अनुदान में से देय व्यय समझा जाएगा।

2.4.2 लेखा एवं लेखा परीक्षा

(1) आयोग केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में समुचित लेखाओं एवं अन्य संगत अभिलेखों को अनुरक्षण करेगा तथा वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा।

(2) कैग द्वारा आयोग के लेखाओं की ऐसे अंतराल पर लेखा परीक्षा की जाएगी जो निर्धारित किया जा सकता है तथा ऐसी लेखा परीक्षा के सिलसिले में किया गया कोई व्यय आयोग द्वारा कैग को देय होगा।

(3) कैग तथा इस अधिनियम के तहत आयोग के लेखाओं की लेखा परीक्षा के सिलसिले में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के पास ऐसी लेखा परीक्षा के सिलसिले में वही अधिकार एवं विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो सामान्यतया सरकारी लेखाओं की लेखा परीक्षा के सिलसिले में कैग को प्राप्त होते हैं और विशेष रूप से बही, लेखा, संबद्ध वाउचर तथा अन्य दस्तावेज एवं कागजात प्रस्तुत करने की मांग करने तथा आयोग के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

2.4.3 वार्षिक रिपोर्ट

आयोग पिछले वित्त वर्ष के दौरान किए गए कार्यकलापों का पूरा विवरण प्रदान करते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रति केन्द्र सरकार को अग्रेषित करेगा।

2.4.4 वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखना

आयोग द्वारा धारा 11 के तहत प्रदान की गई सलाह पर की गई कार्रवाई और ऐसी किसी सलाह के स्वीकार न किए जाने, यदि कोई हो, के कारणों के ज्ञापन के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। वर्ष 2023–24 के लिए आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे लोक सभा में 17 मार्च, 2025 को और राज्य सभा में 19 मार्च, 2025 को रखे गए थे।

संगठन चार्ट

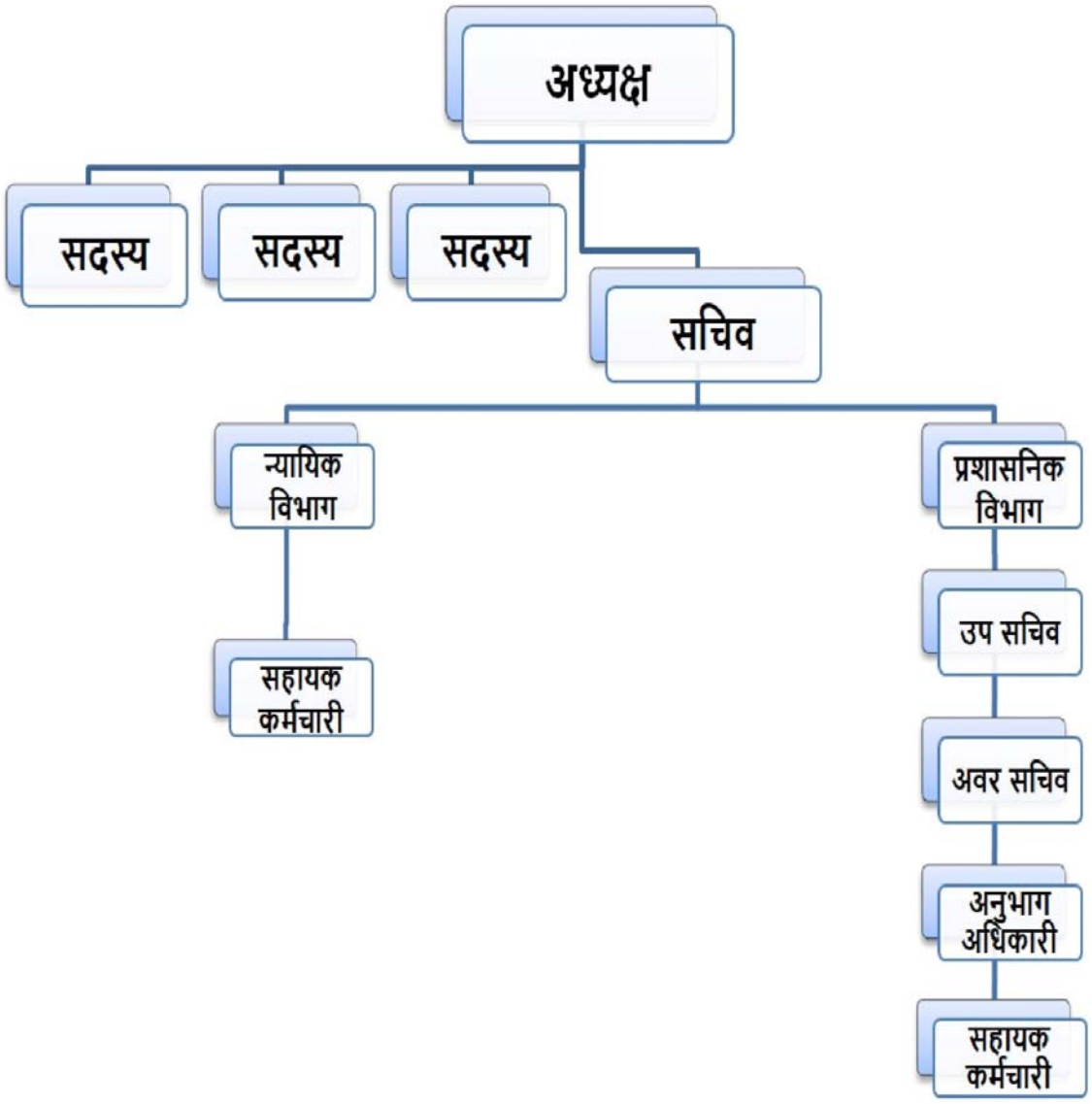
अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सचिव
न्यायिक विभाग
सहायक कर्मचारी
प्रशासनिक विभाग
उप सचिव
अवर सचिव
अनुभाग अधिकारी
सहायक कर्मचारी

अध्याय 3

आयोग की बैठकें

एनसीएमईआई अधिनियम की धारा 12(3) के अनुसार, आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 196 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही मानी जाती है। आयोग को अपराध प्रक्रिया संहिता,1973 के अध्याय 26 की धारा 195 प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय माना जाता है। अर्ध न्यायिक निकाय होने के कारण, आयोग दैनंदिन आधार पर औपचारिक न्यायालय की बैठकें आयोजित करता है। इस प्रयोजनार्थ आयोग में एक औपचारिक न्यायालय कक्ष है।

3.1 आयोग का कामकाज

वाद सूची के अनुसार, आयोग विरासत के मामलों को लेता है और नई याचिकाएँ दर्ज करता है और आदेश पारित करता है। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने और बैकलॉग को कम करने के लिए, आयोग प्रत्येक बैठक में अपेक्षित संख्या में मामलों को सूचीबद्ध करता है। न्यायालय के निर्देश के अनुसार विभिन्न पक्षों को नोटिस जारी किए जाते हैं, जिसमें आवेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी शामिल है। सभी पक्षों को पर्याप्त समय का नोटिस दिया जाता है। नई याचिका के मामले में, सुनवाई की पहली तारीख पर याचिकाकर्ता या प्रतिवादी का उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता है। उनकी उपस्थिति की आवश्यकता वाले नोटिस सुनवाई की दूसरी तारीख पर जारी किए जाते हैं।

ऐसे मामले में जहां याचिकाकर्ता शीघ्रता की मांग करते हैं, आयोग योग्यता के आधार पर जल्दी सुनवाई की तारीख देता है। आयोग किसी विशेष दिन उपस्थित होने में पक्षकारों/याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई असुविधा पर भी विचार करता है तथा तदनुसार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप सुनवाई की उपयुक्त तारीख निर्धारित करके स्थगन प्रदान किए जाते हैं ताकि पक्षकार/याचिकाकर्ता अपने मामलों को प्रभावी ढंग से रख सकें। इस याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आयोग ने वकील की सेवाएं लिए जाने पर कभी भी जोर नहीं दिया है अर्थात कोई भी याचिकाकर्ता जो अपने मामले पर स्वयं बहस करना चाहता है, उसे इसकी छूट दी जाती है।

> मामलों के निपटान में तेजी लाने के उद्देश्य से न्यायालय की बैठकों के लिए आयोग द्वारा कोई कोरम तय नहीं किया गया है। यहां तक कि अगर केवल अध्यक्ष या सदस्यों में से कोई एक मौजूद होता है, तो न्यायालय की कार्यवाही संचालित की जा सकती है और उपयुक्त फैसले के लिए मामले लिए जा सकते हैं।

आयोग अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए शैक्षणिक अधिकारों के अपवंचन से संबंधित उनकी शिकायतों के निवारण के लिए लागत मुक्त मंच प्रदान करने का प्रयास करता है। आयोग ने याचिकाओं पर कार्रवाई के लिए कोई न्यायालय शुल्क निर्धारित

नहीं किया है। चूँकि ऐसे याचिकाकर्ताओं की संख्या बहुत अधिक है जो न्यायालय की प्रक्रियाओं से परिचित नहीं होते हैं, इसलिए आयोग ऐसी याचिकाओं को भी स्वीकार करता है जो वकालत के कानून के अनुरूप नहीं होती हैं तथा ऐसे याचिकाकर्ताओं को उपयुक्त निर्देश देता है।

3.2 आयोग की बैठकें एवं सुनवाइयां

आयोग का न्यायालय अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने से संबंधित मामलों का निर्णय करता है और धारा 12क और 12ख के तहत अपीलों का भी फैसला करता है। न्यायालय धारा 12ग के तहत एमएससी को रद्द करने से संबंधित मामलों का भी फैसला करता है। इस प्रयोजन के लिए, आयोग के न्यायालय की बैठकें होती हैं जिनमें मामलों की सुनवाई वाद सूची के अनुसार की जाती है। आयोग के न्यायालय की बैठकों की वर्षवार संख्या चित्र 3.1 में दी गई है।

आयोग ने 2023–24 के दौरान 128 बैठकों की तुलना में 2024–25 के दौरान 109 बैठकें आयोजित कीं। जून और दिसंबर, 2024 के महीनों में आयोग के न्यायालय में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश था।

3.3 अस्तित्व में आने से लेकर अब तक आयोग द्वारा जारी किए गए एमएससी की संख्या

आयोग अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं (एमईआई) को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र (एमएससी) प्रदान करता है। आयोग के प्रारंभ होने के बाद से 14186 एमएससी प्रदान किए गए हैं। आयोग के न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए एमएससी की वर्षवार संख्या तालिका 3.1 में दी गई है।

क्र. सं	वर्ष	प्रदान किए गए एमएससी की संख्या
1.	2005–06	48
2.	2006–07	622
3.	2007–08	674
4.	2008–09	397
5.	2009–10	1039
6.	2010–11	1342
7.	2011–12	1854
8.	2012–13	1791
9.	2013–14	1674
10.	2014–15	1372
11.	2015–16	1022
12.	2016–17	1094
13.	2017–18	466
14.	2018–19	158
15.	2019–20	12
16.	2020–21	15
17.	2021–22	86
18.	2022–23	162
19.	2023–24	199
20	2024–25	159
	कुल	**14186**

तालिका 3.1: 2005–06 से प्रदान किए गए एमएससी की संख्या

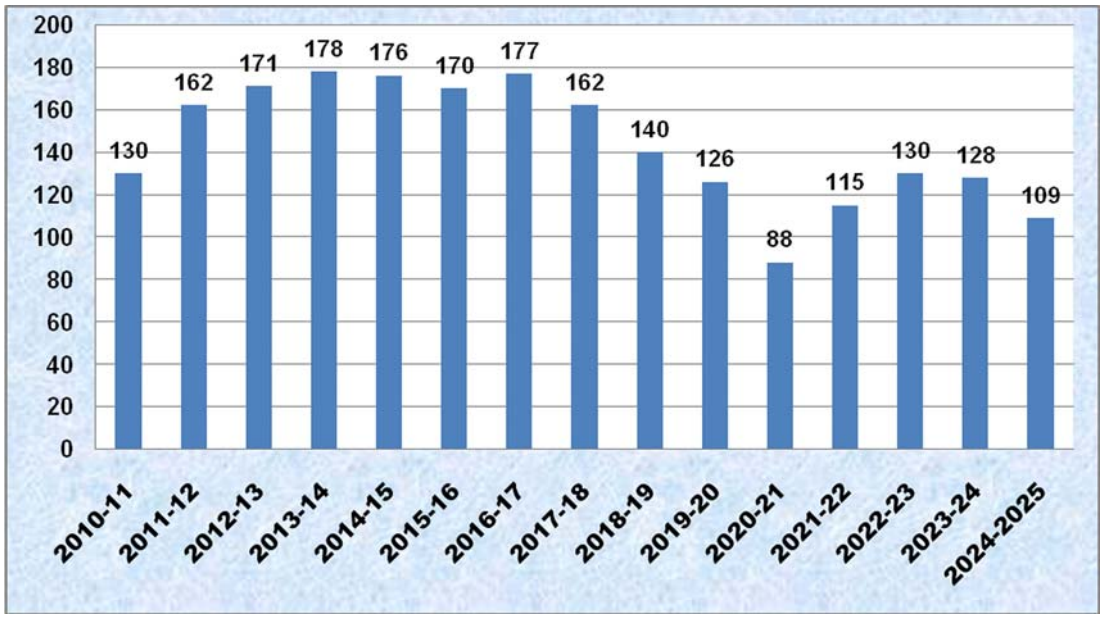

चित्र 3.1: 2010–11 से आयोग की वर्षवार बैठकें

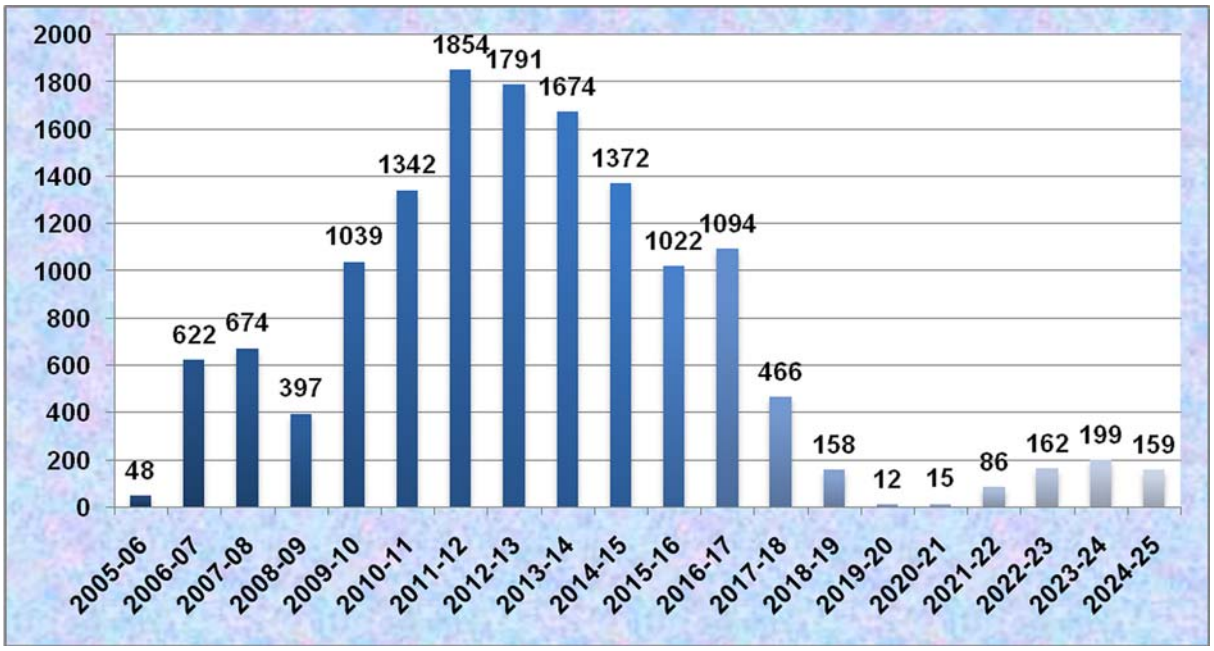

चित्र 3.2: आयोग द्वारा प्रदान किए गए एमएससी की वर्षवार संख्या

2005–06 से 31 मार्च, 2025 तक प्रदान किए गए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या तालिका 3.2 में दी गई है।

क्र. सं.	राज्य	31 मार्च 2025 तक प्रदान किए गए कुल एमएससी
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10
2.	आंध्र प्रदेश	253
3.	अरुणाचल प्रदेश	25
4.	असम	228
5.	बिहार	167
6.	चंडीगढ़	21
7.	छत्तीसगढ़	236
8.	दादरा एवं नगर हवेली	4
9.	दमन एवं दीव	1
10.	दिल्ली	265
11.	गोवा	167
12.	गुजरात	71
13.	हरियाणा	182
14.	हिमाचल प्रदेश	28
15.	झारखंड	124
16.	कर्नाटक	765
17.	केरल	4722
18.	मध्य प्रदेश	602
19.	महाराष्ट्र	203
20.	मणिपुर	37
21.	मेघालय	8
22.	नागालैंड	1
23.	ओडिशा	132
24.	पुद्दुचेरी	32
25.	पंजाब	124
26.	राजस्थान	105
27.	सिक्किम	18
28.	तमिलनाडु	1158
29.	तेलंगाना	355
30.	त्रिपुरा	13
31.	उत्तर प्रदेश	3299
32.	उत्तराखंड	134
33.	पश्चिम बंगाल	696
	कुल	**14186**

तालिका 3.2: वर्ष 2005–06 से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार प्रदान की गई एमएससी की संख्या

डेटा से पता चलता है कि केरल राज्य की अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सबसे अधिक एमएससी प्रदान किए गए हैं जिसके बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का स्थान है। प्रदान किए गए कुल एमएससी में इन राज्यों की अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं का हिस्सा 80 प्रतिशत से अधिक है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और मिजोरम के एमईआई को कोई एमएससी जारी नहीं किया गया है।

अध्याय 4

वर्ष के उल्लेखनीय बिंदु

आयोग ने नवंबर 2024 में 20 वर्ष पूरे कर लिए। आयोग एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 में दिए गए अधिदेश के अनुसार कार्य करता है और इसे इसकी वार्षिक रिपोर्ट में परिलक्षित किया जाता है। 2024–25 के दौरान आयोग के कामकाज के उल्लेखनीय बिंदु नीचे दिए गए हैं:

4.1 न्यायालय की बैठकें

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान न्यायालय में सुने गए मामलों की तिथिवार संख्या नीचे तालिका में दी गई है:

क्र. सं.	तिथि	सुने गए मामलों की संख्या नए एवं पहले से चल रहे मामले	राज्य सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए मामलों की संख्या	प्रदान किए गए एमएससी की संख्या	रद्द/डुप्लिकेट/ अध्यर्पित किए गए एमएससी की संख्या	जारी किए गए नोटिस की संख्या	स्पष्टीकरण/ भौतिक निरीक्षण समिति के लिए पत्र
1.	02-4-2024	27	—	2	—	7	11
2.	03-4-2024	27	—	2	—	5	12
3.	04-4-2024	25	—	2	—	—	15
4.	16-4-2024	29	—	2	—	4	4
5.	18-4-2024	26	—	2	**(01 डुप्लिकेट)****	3	16
6.	23-4-2024	32	—	2	—	5	15
7.	24-4-2024	26	—	—	—	8	13
8.	25-4-2024	28	—	2	—	6	14
9.	30-4-2024	27	—	2	—	4	7
	अप्रैल: कुल	**247**					
	मई: 2024						
10.	01-5-2024	29	—	2	—	3	8
11.	02-5-2024	26	—	2	—	3	10

क्र. सं.	तिथि	सुने गए मामलों की संख्या नए एवं पहले से चल रहे मामले	राज्य सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए मामलों की संख्या	प्रदान किए गए एमएससी की संख्या	रद्द/डुप्लिकेट/ अध्यर्पित किए गए एमएससी की संख्या	जारी किए गए नोटिस की संख्या	स्पष्टीकरण/ भौतिक निरीक्षण समिति के लिए पत्र
12.	07-5-2024	27	—	3	—	6	10
13.	08-5-2024	28	—	3	—	4	8
14.	09-5-2024	27	—	2	—	2	11
15.	14-5-2024	29	—	3	—	1	13
16.	15-5-2024	31	—	3	—	8	9
17.	16-5-2024	28	—	3	—	4	8
18.	21-5-2024	32	—	4	—	1	14
19.	22-5-2024	29	—	5	—	3	18
	मई, कुल	**286**					
	जून, 2024			**न्यायालय की छुट्टियाँ**			
	जुलाई, 2024						
20.	09-7-2024	23	—	—	—	5	10
21.	10-7-2024	25	—	—	**01*(रद्द)**	3	11
22.	11-7-2024	23	—	—	—	5	11
23.	16-7-2024	28	—	3	—	2	12
24.	18-7-2024	23	—	—	—	—	9
25.	23-7-2024	27	—	2	—	3	14
26.	24-7-2024	26	—	2	—	2	15
27.	25-7-2024	25	—	—	—	—	16
28.	30-7-2024	21	—	2	—	12	1
29.	31-7-2024	22	—	2	—	—	12
	जुलाईः कुल	**243**					
	अगस्त, 2024						
30.	01-08-2024	20	—	—	—	1	12

क्र. सं.	तिथि	सुने गए मामलों की संख्या नए एवं पहले से चल रहे मामले	राज्य सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए मामलों की संख्या	प्रदान किए गए एमएससी की संख्या	रद्द/डुप्लिकेट/ अध्यर्पित किए गए एमएससी की संख्या	जारी किए गए नोटिस की संख्या	स्पष्टीकरण/ भौतिक निरीक्षण समिति के लिए पत्र
31.	06-08-2024	23	—	2	—	2	14
32.	07-08-2024	22	—	—	—	2	15
33.	08-08-2024	23	—	—	—	—	13
34.	13-08-2024	24	—	1	—	—	12
35.	14-08-2024	19	—	1	—	1	
36.	20-08-2024	22	—	1	—	—	12
37.	21-08-2024	20	—	—	—	—	11
38.	22-08-2024	22	—	—	—	1	11
39.	27-08-2024	21	—	—	—	3	12
40.	28-08-2024	23	—	—	—	4	11
41.	29-08-2024	23	—	—	—	3	8
	अगस्तः कुल	**262**					
	सितंबर, 2024						
42.	03-09-2024	24	—	2	—	—	12
43.	04-09-2024	23	—	2	—	2	12
44.	05-09-2024	21	—	1	—	—	8
45.	10-09-2024	23	—	2	—	—	14
46.	11-09-2024	22	—	2	**01*(रद्द)**	2	9
47.	12-09-2024	25	—	—	—	3	15
48.	17-09-2024	23	—	—	—	1	17
49.	18-09-2024	21	—	—	—	1	13
50.	19-09-2024	20	—	—	—	1	13
51.	24-09-2024	24	—	3	—	—	16
52.	25-09-2024	26	—	3	—	1	15

क्र. सं.	तिथि	सुने गए मामलों की संख्या नए एवं पहले से चल रहे मामले	राज्य सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए मामलों की संख्या	प्रदान किए गए एमएससी की संख्या	रद्द/डुप्लिकेट/ अध्यर्पित किए गए एमएससी की संख्या	जारी किए गए नोटिस की संख्या	स्पष्टीकरण/ भौतिक निरीक्षण समिति के लिए पत्र
53.	26-09-2024	25	—	1	—	1	18
	सितंबरः कुल	**277**					
	अक्टूबर, 2024						
54.	01.10.2024	25	—	2	—	3	18
55.	03.10.2024	21	—	2	—	1	9
56.	15.10.2024	20	—	2	—	2	10
57.	16.10.2024	24	—	2	—	2	10
58.	17.10.2024	23	—	2	—	1	12
59.	22.10.2024	31	—	1	—	—	20
60.	23.10.2024	27	—	1	—	3	17
61.	24.10.2024	25	—	—	—	1	15
	अक्टूबरः कुल	**196**					
	नवंबर, 2024						
62.	05.11.2024	22	—	2	—	1	12
63.	06.11.2024	22	—	2	—	1	12
64.	07.11.2024	22	—	1	—	3	10
65.	12.11.2024	25	—	1	—	3	10
66.	13.11.2024	20	—	1	—	2	8
67.	14.11.2024	19	—	1	—	—	8
68.	19.11.2024	22	—	2	—	—	10
69.	20.11.2024	20	—	2	—	1	14
70.	21.11.2024	23	—	1	—	3	14
71.	26.11.2024	25	—	—	—	2	15
72.	27.11.2024	21	—	2	—	1	17

क्र. सं.	तिथि	सुने गए मामलों की संख्या नए एवं पहले से चल रहे मामले	राज्य सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए मामलों की संख्या	प्रदान किए गए एमएससी की संख्या	रद्द/डुप्लिकेट/ अध्यर्पित किए गए एमएससी की संख्या	जारी किए गए नोटिस की संख्या	स्पष्टीकरण/ भौतिक निरीक्षण समिति के लिए पत्र
73.	28.11.2024	21	—	2	—	3	11
	नवंबरः कुल	**262**					
	दिसंबर, 2024						
74.	03.12.2024	21	—	2	—	1	9
75.	04.12.2024	21	—	2	—	3	10
76.	05.12.2024	22	—	—	—	—	12
77.	10.12.2024	23	—	—	—	4	10
78.	11.12.2024	25	—	—	—	3	11
79.	12.12.2024	16	—	—	—	—	8
	दिसंबरः कुल	**128**					
	जनवरी, 2025						
80.	14.01.2025	27	—	—	—	8	8
81.	15.01.2025	26	—	—	—	8	9
82.	16.01.2025	28	—	—	—	3	7
83.	21.01.2025	25	—	3	—	—	15
84.	22.01.2025	21	—	3	—	2	6
85.	23.01.2025	25	—	3	—	3	13
86.	28.01.2025	21	—	3	—	—	11
87.	29.01.2025	22	—	3	—	—	8
88.	30.01.2025	23	—	2	—	2	13
	जनवरीः कुल	**218**					
	फरवरी, 2025						
89.	04.02.2025	21	—	2	—	1	11
90.	06.02.2025	27	—	2	—	4	10

क्र. सं.	तिथि	सुने गए मामलों की संख्या नए एवं पहले से चल रहे मामले	राज्य सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए मामलों की संख्या	प्रदान किए गए एमएससी की संख्या	रद्द/डुप्लिकेट/ अध्यर्पित किए गए एमएससी की संख्या	जारी किए गए नोटिस की संख्या	स्पष्टीकरण/ भौतिक निरीक्षण समिति के लिए पत्र
91.	11.02.2025	26	—	—	—	—	14
92.	12.02.2025	26	—	—	—	1	20
93.	13.02.2025	26+2	—	3	—	—	12
94.	18.02.2025	24	—	2	—	—	15
95.	19.02.2025	21	—	2	—	—	13
96.	20.02.2025	23	—	2	—	3	15
97.	25.02.2025	23	—	2	—	1	14
98.	27.02.2025	27	—	3	—	4	11
	फरवरी: कुल	**246**					
	मार्च, 2025						
99.	04.03.2025	20	—	—	—	1	10
100.	05.03.2025	21	—	1	—	—	12
101.	06.03.2025	20	—	—	—	3	8
102.	11.03.2025	21	—	—	—	3	8
103.	12.03.2025	20	—	—	—	2	12
104.	18.03.2025	19	—	4	—	5	6
105.	19.03.2025	21	—	2	—	3	10
106.	20.03.2025	22	—	3	—	2	8
107.	25.03.2025	19	—	2	—	—	6
108.	26.03.2025	19	—	2	—	—	12
109.	27.03.2025	22	—	—	—	—	12
	मार्च: कुल	**224**					
	कुल योग	**2589**	—	**159**	**3**		

टिप्पणी: ''उपरोक्त एमएससी के अतिरिक्त, एक संस्थान को डुप्लीकेट एमएससी जारी किया गया है तथा आयोग द्वारा दो एमएससी रद्द किए गए हैं।''

तालिका 4.1: 2024–25 के दौरान न्यायालय की तिथिवार बैठकें और सुने गए मामले

2024–25 के दौरान, आयोग ने 109 बैठकें कीं और 228 नए और 501 चल रहे मामलों की सुनवाई की, जिनमें 2019 के 10 मामले, 2020 के 26 मामले, 2021 के 28 मामले, 2022 के 73 मामले, 2023 के 243 मामले और 2024 (01 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024) के 121 मामले शामिल हैं। उक्त अवधि में 289 नए और चल रहे मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें से 2019 के 06 मामले, 2020 के 10 मामले, 2021 के 10 मामले, 2022 के 28 मामले, 2023 के 112 मामले और 2024 के 109 मामले तथा 2025 (01 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025) के 14 मामले थे।

31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, आयोग में 2019 के 04 मामले, 2020 के 16 मामले, 2021 के 18 मामले, 2022 के 45 मामले, 2023 के 131 मामले, 2024 के 183 मामले और 2025 (01 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक) के 43 मामले चल रहे हैं।

2024–25 के दौरान, आयोग ने 109 बैठकें कीं और विरासत के मामलों सहित कुल 2589 मामलों की सुनवाई की। आयोग द्वारा सुने गए मामलों की माहवार संख्या चित्र 4.1 में दी गई है।

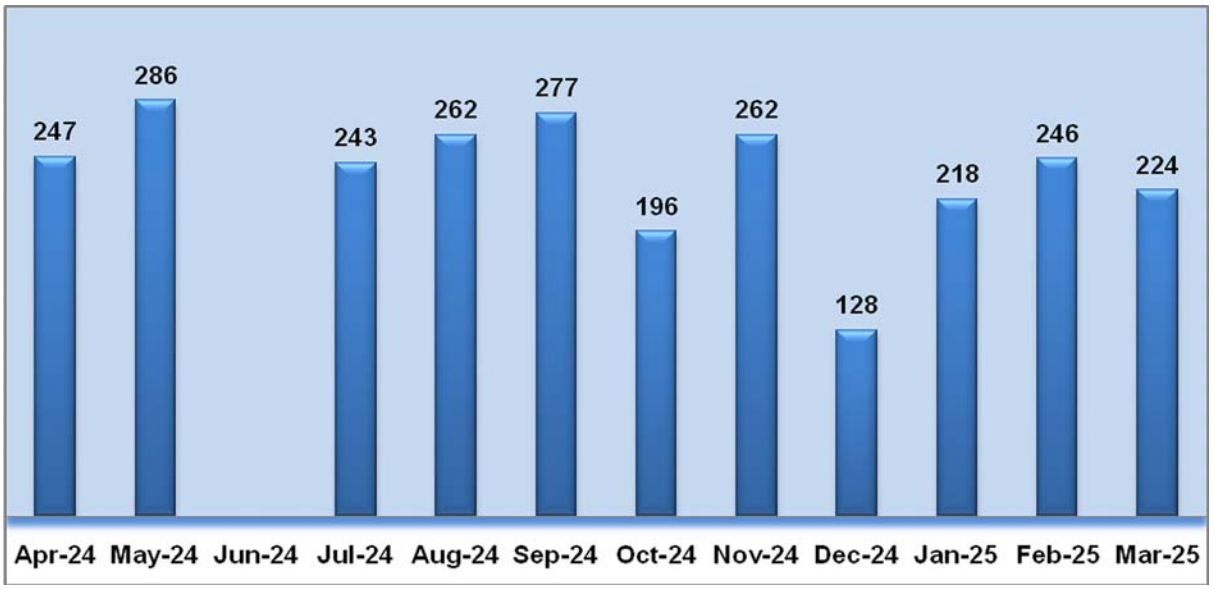

चित्र 4.1: अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक सुने गए मामलों की माहवार संख्या

निपटाए गए मामलों में 127 मामले ऐसे थे जिन्हें या तो वापस ले लिया गया था या खारिज कर दिया गया था, 02 मामलों में एमएससी रद्द कर दी गई, 01 मामले में डुप्लीकेट एमएससी जारी किया गया तथा 159 मामलों में एमएससी प्रदान कर दी गई। जिन 159 मामलों में एमएससी प्रदान की गई, उनमें से 2019 के 06 मामले, 2020 के 08 मामले, 2021 के 09 मामले, 2022 के 22 मामले, 2023 के 89 मामले और 2024 के 25 मामले थे।

4.2 अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करना

पात्र अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान एमएससी प्रदान करने के लिए एनसीएमईआई या राज्य प्राधिकरण के पास आवेदन कर सकते हैं। आयोग की आवश्यकता के अनुसार, अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र (एमएससी) के आवेदन पत्र को समय–समय पर संशोधित किया जाता (अनुबंध–1) है। एमएससी आवेदन पत्र

एनसीएमईआई वेबसाइट (www.ncmei.gov.in) पर उपलब्ध है। आवेदकों/याचिकाकर्ताओं की सहूलियत के लिए, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की जांच सूची भी एनसीएमईआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 (2006 में यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार, एमएससी प्रदान करने के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक संस्था को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) के लिए राज्य सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करने की आवश्यकता होती है (सक्षम प्राधिकारी की सूची अनुबंध–3 के रूप में संलग्न है)।

यदि आवेदक संस्था का एनओसी एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत राज्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है, तो आवेदक एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12ए के तहत और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) नियमावली, 2006 के अनुसार आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। आवेदन का प्रारूप अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न है।

यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा एमएससी आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आवेदक संस्था एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12बी के तहत और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) नियमावली, 2006 के अनुसार अपील कर सकती है। आवेदन का प्रारूप अनुबंध–2 के रूप में संलग्न है। धारा 12ए और 12बी के तहत अपील के लिए आवेदन एनसीएमईआई की वेबसाइट (www.ncmei.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

आयोग द्वारा प्रदान किए गए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- 2023–24 के दौरान 199 एमएससी की तुलना में 2024–25 के 159 एमएससी प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, एक संस्थान को डुप्लीकेट एमएससी प्रदान किया गया तथा दो एमएससी रद्द कर दिए गए।
- ऐसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की राज्यवार संख्या तालिका 4.2 में दी गई है जिन्हें 2024–25 के दौरान एमएससी प्रदान किया गया है।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	2024–25 के दौरान प्रदान किए गए एमएससी की संख्या
1.	अंडमान एवं निकोबार	1
2.	आंध्र प्रदेश	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	5
5.	बिहार	3
6.	छत्तीसगढ़	4
7.	दिल्ली	6
8.	गोवा	2
9.	गुजरात	5
10.	झारखंड	5
11.	कर्नाटक	12
12.	केरल	4
13.	मध्य प्रदेश	9
14.	महाराष्ट्र	1
15.	ओडिशा	1
16.	पंजाब	1
17.	राजस्थान	1
18.	तमिलनाडु	38

क्रम संख्या	राज्य का नाम	2024–25 के दौरान प्रदान किए गए एमएससी की संख्या
19.	तेलंगाना	4
20.	उत्तर प्रदेश	46
21.	उत्तराखंड	4
	कुल	**159**

तालिका 4.2रू 2024–25 के दौरान प्रदान किए गए एमएससी की राज्यवार संख्या

इसके अलावा, 2016 में नीति आयोग के अनुदेशों के अनुसरण में, सभी याचिकाकर्ताओं को नीति आयोग द्वारा अपने एनजीओ दर्पण पोर्टल के माध्यम से आवंटित विशिष्ट आईडी प्रस्तुत करना होता है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान चलाने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम और पता तथा सोसाइटी/ट्रस्ट के पदाधिकारी का नाम, ये सभी जानकारी विशिष्ट आईडी में दी जाती है। एमएससी

वर्ष 2024–25 के दौरान प्रदान किए गए एमएससी का समुदायवार ब्यौरा तालिका 4.3 में दिया गया है।

ईसाई	मुस्लिम	जैन	सिख	बौद्ध	पारसी
101	43	8	6	1	0

तालिका 4.3: 2024–25 के दौरान प्रदान किए गए समुदायवार एमएससी

4.3 अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र का वितरण

पारदर्शिता लाने के लिए आयोग ने तय किया कि 01 जुलाई, 2024 से अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र (एमएससी) सीधे उस व्यक्ति को सुपुर्द किया जाएगा जिसका नाम शासी निकाय के प्रस्ताव में है, जिसने एमएससी प्रदान करने के लिए आयोग के पास आवेदन किया है। तदनुसार, आयोग में प्रत्येक गुरुवार को एमएससी का वितरण किया जाता है।

4.4 सोसाइटियों/न्यासों का सत्यापन

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान चलाने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, आयोग अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान चलाने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट का यादृच्छिक सत्यापन करता है। सत्यापन से संबंधित मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव/प्रशासक के साथ उठाए जाते हैं जो सोसाइटी/न्यास के कामकाज तथा शैक्षणिक संस्था की मौजूदगी/कामकाज के बारे में सत्यापन करते हैं।

आवेदन में दिए गए विवरण का सत्यापन विशिष्ट आईडी दस्तावेज में दिए गए विवरण के साथ किया जाता है।

एमएससी आवेदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता लाने के लिए, आयोग ने अधिसूचित किया कि घोषणा, शपथ पत्र और वकालतनामा पर एक ही व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

5 अगस्त 2021 को, यह भी अधिसूचित किया गया कि ट्रस्ट/सोसाइटी द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्थान को सोसाइटी/ट्रस्ट के शासी निकाय द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति जमा करनी होगी जिसमें एमएससी प्रदान करने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए घोषणा, शपथ पत्र और वकालतनामा के हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया गया है।

4.5. ई–गवर्नेंस की दिशा में नई नीतिगत पहलें

ई–गवर्नेंस आसान, प्रभावी और किफायती गवर्नेंस है। आयोग की कार्य पद्धति में पारदर्शिता,

सटीकता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से, ई–गवर्नेंस की संकल्पना के समुचित कार्यान्वयन के लिए 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा शुरू की गई पहलों को 2024–25 के दौरान भी जारी रखा गया है। इनमें से कुछ पहलें नीचे दी गई हैंरू

(i) **एनसीएमईआई की गतिशील वेबसाइटः** एनसीएमईआई की अपनी वेबसाइट है जो प्रयोक्ता हितैषी है तथा वर्तमान सामग्री के साथ अद्यतन की जाती है। एनसीएमईआई अधिनियम / दिशानिर्देश, एमएससी आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया, अनिवार्य दस्तावेजों की जांच सूची, नोडल अधिकारियों और राज्य सक्षम प्राधिकारी का विवरण आदि जैसे सभी विवरण उपलब्ध हैं।

- वेबसाइट पर उन संस्थानों का डेटा उपलब्ध है जिन्हें आयोग द्वारा एमएससी प्रदान किया गया है।
- एनसीएमईआई की वेबसाइट (http://ncmei.gov.in) पर दैनिक वाद सूची / न्यायालय के आदेश / निर्णय अपलोड किए जाते हैं।
- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को जारी किए गए एमएससी की राज्यवार सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई है।
- आयोग की वार्षिक रिपोर्टें तथा महत्वपूर्ण सूचनाएं और परिपत्र भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 और 12(बी) के अंतर्गत राज्य द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी की सूची भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ii) **पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस):** आयोग 2017 से पीएफएमएस पर है। यह वित्तीय प्रबंधन का प्लेटफार्म है जो कुशल निधि प्रवाह प्रणाली और भुगतान सह लेखांकन नेटवर्क की स्थापना करता है। इससे व्यय में पारदर्शिता आई है और यह निधियों की उपलब्धता एवं निधियों के उपयोग पर रीयल टाइम जानकारी प्रदान करता है। यह सिस्टम गवर्नेंस में सुधार के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है।

(iii) **अभिलेखों को डिजिटल रूप देनाः** डिजिटल इंडिया के बारे में माननीय प्रधानमंत्री के विजन को ध्यान में रखते हुए, ऐसी सभी फाइलों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया जिनमें एमएससी प्रदान किए गए हैं।

(iv) **एक राष्ट्र एक डेटा पहलः** आयोग द्वारा जिन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को एमएससी प्रदान किया गया है, उनका डेटा संबंधित राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ उनके रिकॉर्ड के लिए साझा किया गया है।

4.6 हिंदी पखवाड़ा

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में 14 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। यह समारोह 14–15 सितंबर, 2024 को भारत मंडपम में चौथे अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन के साथ शुरू हुआ।

राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़घवा देने तथा भाषा के प्रति एकजुटता की भावना को बढ़घवा देने के उद्देश्य से, पखवाड़े के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई।

उद्घाटन समारोह में, श्री जगदीश राम पौड़ी, निदेशक, राजभाषा, शिक्षा मंत्रालय को राजभाषा के प्रयोग पर अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसी क्रम में, प्रो. सुधीर प्रताप सिंह, अध्यक्ष, भारतीय भाषा केंद्र, एसएलएल एंड सीएस, जेएनयू को हिंदी कार्यशाला के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला के दौरान, उन्होंने हिंदी में काम करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें हिंदी में काम करने के लिए विभिन्न एप्लिकेशन के बारे में भी जानकारी दी।

30 सितंबर, 2024 को आयोग के सम्मेलन कक्ष में कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव (प्रशासन) श्री सैयद इकराम रिजवी को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने हिंदी में कार्य करने की गति को बढ़घने के लिए सुझाव भी दिए।

4.7 हिंदी कार्यशाला

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार, सरकारी कार्यालयों में तिमाही आधार पर हिंदी कार्यशाला आयोजित की जानी होती है। तदनुसार, 05 जून 2024, 26 सितंबर 2024, 13 जनवरी 2025 और 25 मार्च 2025 को कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

05 जून 2024 को आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता आयोग के अवर सचिव ने की। कार्यशाला के दौरान मुख्य रूप से हिंदी भाषा के इतिहास

और सरकारी कामकाज में इसके प्रयोग पर चर्चा हुई तथा अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने पर जोर दिया गया।

दूसरी कार्यशाला का संचालन 26 सितंबर 2024 को हिंदी पखवाड़ा के दौरान प्रो. सुधीर प्रताप सिंह, अध्यक्ष, भारतीय भाषा केंद्र, एसएलएल एंड सीएस, जेएनयू द्वारा किया गया। संचालक ने कार्यालय के दैनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग तथा हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न एप्लिकेशन के बारे में प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया।

तीसरी कार्यशाला 13 जनवरी 2025 को आयोजित की गई और इसका संचालन अनुभाग अधिकारी द्वारा किया गया, जिन्होंने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों के बारे में प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया।

चौथी कार्यशाला 25 मार्च 2025 को आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी श्री जयप्रकाश ने की। कार्यशाला का विषय 'हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान' था। संचालक ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले 14 प्रकार के दस्तावेजों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया, जिन्हें द्विभाषी रूप में जारी किया जाना आवश्यक है तथा नियम 5 के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी।

कार्यशाला के समापन पर, हिंदी आशुलिपिक ने कर्मचारियों को राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धियों से अवगत कराया तथा उन्हें हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यशाला का समापन संसाधन व्यक्ति (विशेषज्ञ) के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

4.8 स्वच्छता पखवाड़ा

भारत को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री ने इच्छा व्यक्त की कि केन्द्र सरकार के मंत्रालय और उनके संबद्ध कार्यालय प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार स्वच्छता पखवाड़ा मनाएं। आयोग में 01 सितंबर 2024 से 15 सितंबर 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। आयोग परिसर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं, जैसे कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग बंद करना और जूट/कपड़े के थैलों, जिन्हें कर्मचारियों के बीच वितरित किया गया, के उपयोग को प्रोत्साहित करना, कार्यालय से और उसके आसपास अपशिष्ट पदार्थों को हटाना, रैक में फाइलों को ठीक से व्यवस्थित करना और सीपीजीआरएएम से संबंधित मामलों का निपटारा करना।

इस अवधि के दौरान आयोग में स्वच्छता शपथ दिलाई गई। परिसर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए समय–समय पर कई अन्य पहल भी की गई हैं।

4.9 विभिन्न राज्यों के राज्य सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

वर्ष के दौरान, राज्य सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न बैठकें आयोजित की गईं।

इन बैठकों का एजेंडा एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 के प्रावधानों, एमएससी/एनओसी प्रदान करने में एनसीएमईआई और राज्य के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में हितधारकों को जानकारी प्रदान करना और राज्य द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर एनओसी/एमएससी प्रदान करने के लिए लंबित आवेदनों पर कार्रवाई में तेजी लाना था।

4.9.1 तमिलनाडु और तेलंगाना के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

एनसीएमईआई के माननीय सदस्य प्रो. (डॉ.) शाहिद अख्तर की अध्यक्षता में 05 अगस्त 2024 को आयोग के सम्मेलन कक्ष में तेलंगाना और तमिलनाडु राज्य के सक्षम प्राधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान, इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई कि जो व्यक्ति अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित करना चाहता है, उसे एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत उक्त उद्देश्य के लिए एनओसी प्रदान करने के लिए राज्य सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करना होगा। शैक्षणिक संस्थान राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एमएससी प्रदान करने के लिए आवेदन दाखिल करने या एनओसी प्रदान करने के लिए आवेदन दाखिल करने का विकल्प चुन सकता है।

माननीय सदस्य, एनसीएमईआई ने एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया और सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ क्लूनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (सिविल अपील संख्या 3945/2018, निर्णय दिनांक 18/04/2018) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की व्याख्या की।

इस बात पर भी चर्चा हुई कि याचिकाकर्ता संस्थानों से एनओसी प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी को आवेदन पर कार्रवाई करनी होती है। राज्य को 90 दिन के भीतर या तो एनओसी प्रदान करना होता है, या एनओसी आवेदन को अस्वीकार करना होता है और इस संबंध में याचिकाकर्ता को अपना निर्णय बताना होता है।

तमिलनाडु

बैठक के दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि आयोग द्वारा तमिलनाडु के सक्षम प्राधिकारी को जारी किए गए नोटिस के जवाब में राज्य सरकार पत्र भेजकर यह कहती है कि याचिकाकर्ता ने एमएससी प्रदान करने के लिए आवेदन दायर नहीं किया है। हालांकि, जवाबी हलफनामे में कहा जाता है कि "याचिकाकर्ता ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन दायर किया है परंतु निजी स्कूलों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग, तमिलनाडु के जी.ओ. (एमएस) संख्या 375 दिनांक 12 अक्टूबर 1998 और जी.ओ. (एमएस) संख्या 214 दिनांक 3 नवंबर 2008 के संदर्भ में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। कुछ मामलों में, राज्य के सक्षम प्राधिकारियों से गलत जवाब मिलते हैं, जिसकी वजह से आयोग को मामले का फैसला करने के लिए भौतिक निरीक्षण समिति का गठन करना पडघ्ता है।

शैक्षणिक संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार के दिशानिर्देशों के बारे में सवाल उठाया गया, जिसमें निदेशक, निजी स्कूल निदेशालय, तमिलनाडु सरकार ने इस बारे में पिछड़ा वर्ग, सबसे पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण (एमडब्ल्यू1) विभाग, तमिलनाडु के जी.ओ. (एमएस) संख्या 109 दिनांक

29 दिसंबर 2022 के बारे में बताया।

इसके अलावा, माननीय सदस्य ने बताया कि एनसीएमईआई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई संस्था किसी ट्रस्ट या पंजीकृत सोसाइटी द्वारा संचालित है, तो ट्रस्ट के अधिकांश ट्रस्टी या सोसाइटी के अधिकांश सदस्य, जैसा भी मामला हो, अल्पसंख्यक समुदाय के होने चाहिए और ट्रस्ट विलेख/संगम अनुच्छेद में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की पूर्ति का उद्देश्य प्रतिबिंबित होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बकले प्राइमरी स्कूल, कटक, उड़ीसा बनाम उड़ीसा सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ–साथ इस आयोग (2009 की प्रकरण संख्या 1320 में 6 जुलाई 2010 को आयोग द्वारा पारित आदेश) ने भी स्पष्ट रूप से माना है कि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के प्रवेश का प्रतिशत ऐसे संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण करने के लिए कोई संकेतक नहीं है।

राज्य के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए केरल राज्य द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के बारे में भी जानकारी दी गई तथा उन्हें अपने–अपने राज्य में एनओसी प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु पहल करने का भी सुझाव दिया गया।

तेलंगाना

माननीय सदस्य ने बताया कि एनओसी प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान द्वारा दायर आवेदन के संबंध में जवाब भेजने के बजाय, तेलंगाना राज्य यह कहते हुए उत्तर भेजता है कि उन्हें एनओसी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है और याचिकाकर्ता धार्मिक एमएससी प्रदान करने के लिए राज्य के समक्ष आवेदन कर सकता है।

सहायक आयुक्त, अल्पसंख्यक कल्याण, तेलंगाना ने कहा कि याचिकाकर्ता संस्थान एनओसी प्रदान करने के लिए उनके पास आवेदन नहीं करते हैं तथा एमएससी प्रदान करने के लिए सीधे एनसीएमईआई के समक्ष आवेदन भेजते हैं। माननीय सदस्य ने बताया कि याचिकाकर्ता संस्थान आयोग के समक्ष एनओसी आवेदन की सुपुर्दगी का प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं तथा उन्होंने राज्य को ऐसे मामलों में उचित जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

सहायक आयुक्त, अल्पसंख्यक कल्याण, तेलंगाना ने यह प्रश्न उठाया कि क्या राज्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थान उस विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की पूर्ति कर रहा है। जवाब में उन्हें बताया गया कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य अपनी नीति के अनुसार याचिकाकर्ता संस्थान का निरीक्षण कर सकता है, परंतु उसके प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करना होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षित हैं।

4.9.2 उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात के राज्य सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

माननीय सदस्य की अध्यक्षता में 12 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात के राज्य सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई गई।

बैठक का एजेंडा एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के बारे में सक्षम प्राधिकारियों को जानकारी प्रदान करना, एनओसी आवेदन के

निपटान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना और यह समझना था कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आयोग के नोटिसों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया।

एनसीएमईआई के माननीय सदस्य ने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत प्रत्याभूत अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के बारे में बताया और एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10, 12ए और 12बी के बारे में भी बताया।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आयोग को डीम्ड एनओसी के आधार पर एमएससी प्रदान

करने के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। एनओसी आवेदन की ट्रैकिंग रिपोर्ट के साथ उसकी एक प्रति एमएससी आवेदन पत्र के साथ संलग्न होती है। आयोग सक्षम प्राधिकारी को उनकी राय जानने के लिए याचिका के पूरे सेट के साथ नोटिस भेजता है। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि राज्य या तो जवाब नहीं देते हैं या जब वे जवाब देते हैं तो उनके जवाब संतोषजनक नहीं होते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव ने चल रहे मामलों के बारे में पूछताछ की। जवाब में सचिव ने उन्हें बताया कि आयोग में उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड से एमएससी की क्रमशः 63, 30 और 34 याचिकाएं विचाराधीन हैं।

गुजरात के प्रतिनिधि ने पूछा कि क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के सभी सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिए। जवाब में माननीय सदस्य ने बताया कि दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि संबंधित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान किसी ट्रस्ट या पंजीकृत सोसाइटी द्वारा संचालित है, तो ट्रस्ट के अधिकांश ट्रस्टी या सोसाइटी के अधिकांश सदस्य, जैसा भी मामला हो, अल्पसंख्यक समुदाय के होने चाहिए और ट्रस्ट विलेख/संगम अनुच्छेद में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की पूर्ति के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करने वाला एक लाभार्थी खंड होना चाहिए। उन्होंने बकले प्राइमरी स्कूल, कटक, उड़ीसा बनाम उड़ीसा सरकार के मामले में उच्च न्यायालय के साथ–साथ इस आयोग के निर्णय (आयोग द्वारा 2009 की प्रकरण संख्या 1320 में 06 जुलाई 2010 को पारित आदेश) के बारे में भी जानकारी दी।

बैठक से निम्नलिखित कार्य बिंदु चिन्हित किए गए:

- एनओसी/एमएससी आवेदन प्राप्त करने के लिए राज्य को दिशानिर्देश और प्रारूप तैयार करना चाहिए।

- निगरानी में सहूलियत के लिए राज्यों को ऑनलाइन एनओसी/एमएससी आवेदन प्राप्त करने के विकल्प पर विचार करना चाहिए।
- एनओसी आवेदन पर 90 दिन के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए और निर्णय के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
- एकपक्षीय निर्णय से बचने के लिए राज्यों को आयोग के नोटिस का शीघ्रता से और उचित जवाब देना चाहिए।
- राज्यों को जांच कर यह सूचित करना चाहिए कि क्या एनओसी आवेदन संलग्नकों सहित सक्षम प्राधिकारियों के कार्यालय में प्राप्त हुआ है तथा यह भी बताना चाहिए कि संस्थानों को कोई जवाब क्यों नहीं भेजा गया।
- संबंधित जिला अधिकारियों के साथ कार्यशाला/सेमिनार आयोजित करना चाहिए ताकि उन्हें एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 के प्रावधानों, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में निहित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके।

4.9.3 हरियाणा के राज्य सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

एनसीएमईआई के माननीय सदस्य की अध्यक्षता में 02 सितंबर 2024 को हरियाणा के सक्षम प्राधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का एजेंडा एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 के प्रावधानों और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों (एमईआई) को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र (एमएससी) जारी करने में एनसीएमईआई के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों को जागरुक करना था।

अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में माननीय सदस्य ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 के प्रावधानों की संक्षेप में व्याख्या की। इसके बाद, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एनओसी/एमएससी प्रदान करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और इस संबंध में आने वाली चुनौतियों के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। बैठक के दौरान निम्नलिखित कार्य बिंदु उभरकर सामने आए:

1. राज्य को निजी विद्यालयों को मान्यता/संबद्धता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के बारे में आयोग को सूचित करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे प्रमाण पत्र उचित प्रारूप में हों।
2. एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के अनुसार एनओसी जारी करना।
3. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश दिए जाने वाले अल्पसंख्यक छात्रों का प्रतिशत निर्धारण करने के लिए, राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे 2019 की प्रकरण संख्या 217 में आयोग के 23 नवंबर 2021 के निर्णय का संदर्भ लें।
4. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का डेटा साझा करना चाहिए जिन्हें एमएससी प्रदान किया गया है।

4.9.4 ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के राज्य सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

एनसीएमईआई के माननीय सदस्य की अध्यक्षता में 09 सितंबर 2024 को ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार राज्य के सक्षम प्राधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक का एजेंडा एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के बारे में सक्षम प्राधिकारियों को जानकारी प्रदान करना, एनओसी आवेदन के निपटान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना और यह समझना था कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आयोग के नोटिसों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया।

प्रतिभागियों को एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 के बारे में जानकारी दी गई तथा धारा 10 के प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या की गई। याचिकाओं के निपटान में आयोग के सामने आने वाली राज्य विशिष्ट कठिनाइयों और मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया।

बैठक के दौरान, प्रतिभागियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत प्रत्याभूत अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के बारे में बताया गया और उन्हें एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10, 12ए और 12बी से अवगत कराया गया। कोई भी व्यक्ति जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना चाहता है, उसे एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत एनओसी प्रदान करने के लिए राज्य सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करना होता है।

इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि आयोग को डीम्ड एनओसी के आधार पर एमएससी प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं और यह कि राज्य आयोग द्वारा भेजे गए नोटिसों का जवाब नहीं देते हैं और जब वे जवाब देते भी हैं तो अक्सर वह संतोषजनक नहीं होता है। ऐसे मामलों में एमएससी की याचिका पर कोई भी निर्णय लेने से पहले रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आयोग भौतिक निरीक्षण समिति का गठन करने के लिए बाध्य होता है।

राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे 90 दिन के भीतर एनओसी आवेदनों का निपटारा करें तथा एकपक्षीय निर्णय से बचने के लिए नोटिसों का जवाब भेजें। उन्होंने राज्य सरकारों से एनओसी आवेदनों के निपटान के संबंध में विशिष्ट निर्देश/आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया।

ओडिशा

इस बात पर चर्चा हुई कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के संस्थानों के लिए सक्षम प्राधिकारी को छोडघ्कर, ओडिशा सरकार ने सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। राज्य को अन्य स्तर के संस्थानों के लिए भी सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति में तेजी लानी चाहिए, ताकि संस्थान एनओसी के लिए आवेदन कर सकें।

इस संबंध में प्रश्न उठाया गया था कि किसी संस्थान को एमईआई के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाएगा, जब अल्पसंख्यक छात्रों का नामांकन 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो, जिसके लिए राज्य प्रतिनिधियों को सलाह दी गई कि वे टीएमए पई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और 2019 की प्रकरण संख्या 217 में आयोग के 23 नवंबर 2021 के निर्णय का संदर्भ लें।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि ने बताया कि उन्होंने एमएससी प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु एक तंत्र तैयार किया है तथा अब तक उन्होंने 61 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को एमएससी प्रदान किया है।

असम

असम के प्रतिनिधि ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में आयोग के पत्र के जवाब में, एक महीने के भीतर आयोग को सक्षम प्राधिकारीका विवरण सूचित कर दिया जाएगा।

बिहार

बिहार के प्रतिनिधि ने बताया कि सभी स्तरों के संस्थानों के लिए सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति की गई है और एनओसी प्रदान करने के लिए उनके पास प्रोटोकॉल मौजूद है। सक्षम प्राधिकारियों के पते सहित सम्पूर्ण विवरण आयोग के साथ साझा किया गया। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि एनओसी प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

आयोग ने बिहार के प्रतिनिधि को एमएससी प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने तथा उनको जारी करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, इस बात पर जोर दिया गया कि राज्यों को चाहिए कि वे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को राज्य से ही एमएससी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें।

बैठक से निम्नलिखित कार्य बिंदु उभर कर सामने आए:

- एनओसी/एमएससी आवेदन प्राप्त करने के लिए राज्यों को दिशानिर्देश और प्रारूप तैयार करना चाहिए।
- निगरानी में सहूलियत के लिए राज्यों को ऑनलाइन एनओसी/एमएससी आवेदन प्राप्त करने के विकल्प पर विचार करना चाहिए।
- एनओसी आवेदन पर 90 दिन के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए और निर्णय के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
- एकपक्षीय निर्णय से बचने के लिए राज्यों को आयोग के नोटिस का शीघ्रता से और उचित जवाब देना चाहिए।
- राज्यों को चाहिए कि वे संस्थानों को राज्य से एमएससी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें।

4.10 विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और आयोग के 20वें स्थापना दिवस समारोह

भारतीय संविधान विविधता और समावेशिता के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके मूल में अनुच्छेद 30 है, जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार देने वाला एक शक्तिशाली प्रावधान है।

माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 11 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग को अधिसूचित किया और नई

राष्ट्र गान के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, एनसीएमईआई के माननीय सदस्य प्रो. (डॉ.) शाहिद अख्तर और अल्पसंख्यक समुदाय के विभिन्न गणमान्य व्यक्ति ।

दिल्ली में स्थित इसके मुख्यालय के साथ 16 नवंबर 2004 को आयोग का गठन किया।

कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्ज्वलित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री – श्री धर्मेंद्र प्रधान।

आयोग के गठन का समुदायों द्वारा स्वागत किया गया तथा इसे यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया गया कि इससे उनकी शैक्षिक आकांक्षाएं न्याय और समानता के साथ पूरी होंगी।

समारोह बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ और इसकी शुरुआत राष्ट्र गान से हुई, जिससे उपस्थित लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हुई। राष्ट्र गान के पश्चात माननीय मंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित किया गया।

18 दिसंबर, 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित इस महत्वपूर्ण अवसर पर एनसीएमईआई ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अपना बीसवां स्थापना दिवस मनाया।

आयोग के अवर सचिव ने आयोग के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अप्रतिम समर्थन के लिए आभार स्वरूप एक गमले में पौधा देकर आयोग के माननीय सदस्य प्रो. डॉ.) शाहिद अख्तर का स्वागत किया।

माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति ने सरकार की इस सोच को रेखांकित किया कि समावेशी और समान शिक्षा प्रणाली को बढघवा देने में एनसीएमईआई की भूमिका महत्वपूर्ण है।

इस मौके पर कई जाने–माने लोग मौजूद थे, जिनमें श्री इंद्रेश कुमार (मुस्लिम राष्ट्रीय मंच), डॉ. इकबाल सिंह लालपुरा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इमाम उमर अहमद इलियासी, मुख्य इमाम, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन, प्रो. (डॉ.) फैजान मुस्तफा, वाइस–चांसलर, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, उपाध्याय श्री रवींद्र मुनि, संत और विद्वान, जैन धर्म, परम आदरणीय रफी मंजली – आगरा के आर्कबिशप, डॉ. भिक्खु, धम्मपाल महाथेरो, महायाजक, बौद्ध समुदाय, अल्पसंख्यक समुदायों के विशिष्ट अतिथि और गणमान्य व्यक्ति भी शामिल थे।

एनसीएमईआई के माननीय सदस्य, प्रोफेसर (डॉ. शाहिद अख्तर) का एनसीएमईआई के अवर सचिव श्री आर.एस. तरार द्वारा स्वागत किया गया।

कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान

सभा को संबोधित करते हुए श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने एक सशक्त संदेश दिया, जिसमें शिक्षा के माध्यम से समावेशी प्रगति के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर जोर दिया गया।

उनके शब्द भारत के संविधान में दिए गए खास मूल्यों से मेल खाते थे, जो सभी को बराबर मौके देने के देश के वादे की पुष्टि करते हैं।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए एनसीएमईआई के माननीय सदस्य प्रो. (डॉ.) शाहिद अख्तर।

माननीय मंत्री ने पिछले दो दशकों में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करने में एनसीएमईआई के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की तथा अधिक न्यायसंगत एवं समतामूलक शिक्षा प्रणाली बनाने में आयोग की भूमिका को स्वीकार किया गया, जहां प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। मंत्री के संबोधन में अतीत की उपलब्धियों को स्वीकार करने से कहीं आगे बढ़कर बात कही गई। इसमें अल्पसंख्यक शिक्षा के भविष्य के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

श्री प्रधान ने भारत में शिक्षा के भविष्य को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने इन संस्थानों को नवाचार और परिवर्तन के प्रमुख चालक के रूप में देखा, जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देंगे।

अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए दो दशकों की समर्पित सेवा का स्मरण करने वाला यह आयोजन भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता का प्रमाण था।

इस आयोजन ने आयोग की यात्रा पर मनन करने, उसकी उपलब्धियों को स्वीकार करने तथा आगे की राह तैयार करने के लिए मंच के रूप में कार्य किया। 20वां स्थापना दिवस समारोह न केवल औपचारिक कार्यक्रम था, बल्कि यह एनसीएमईआई की अपने संस्थापक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करने और तेजी से विकसित हो रहे शैक्षिक परिदृश्य में अपनी सेवाओं की निरंतर आवश्यकता को स्वीकार करने का भी अवसर था।

चित्र गैलरी

विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और आयोग के 20वें स्थापना दिवस के जश्न की झलकियां

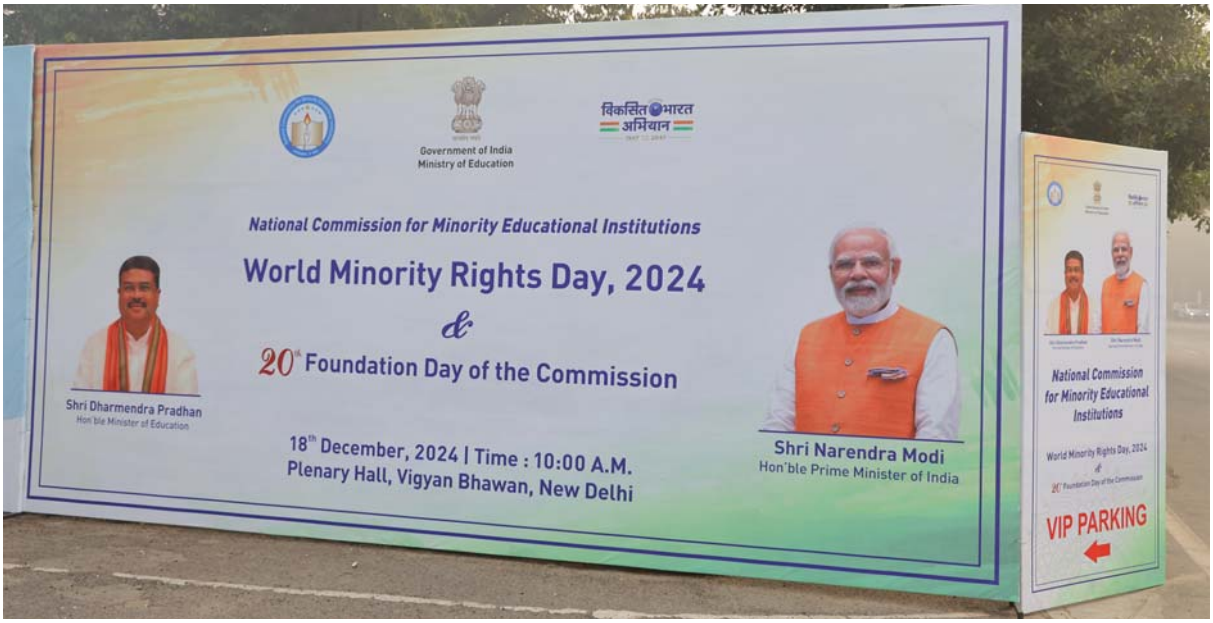

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में कार्यक्रम का बोर्ड

राष्ट्र गान के साथ उद्घाटन समारोह

केंद्रीय शिक्षा मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान का एनसीएमईआई के माननीय सदस्य, प्रो. (डॉ. शाहिद अख्तर) द्वारा स्वागत किया गया।

श्री इंद्रेश कुमार, मार्गदर्शक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एनसीएमईआई के माननीय सदस्य प्रो. (डॉ. शाहिद अख्तर) द्वारा स्वागत किया गया।

श्री इकबाल सिंह लालपुरा, माननीय अध्यक्ष, एनसीएम का एनसीएमईआई के माननीय सदस्य प्रो. (डॉ. शाहिद अख्तर) द्वारा स्वागत किया गया।

कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए सचिव, एनसीएमईआई

आयोग के अधिकारी और कर्मचारी

अध्याय 5

यात्रा और दौरे

अल्पसंख्यक समुदाय के हितधारकों और सदस्यों के साथ बातचीत करने और उनके सामने आने वाली समस्याओं / कठिनाइयों को समझने के उद्देश्य से माननीय सदस्य द्वारा दौरे किए गए। इसने आयोग को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों तथा एनसीएमईआई की भूमिका एवं जिम्मेदारियों के बारे में उनको अवगत कराने का अवसर भी प्रदान किया।

यात्रा और दौरे राजनीतिक पदाधिकारियों तथा राज्य सरकारों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करने तथा अल्पसंख्यकों की शिक्षा का सुनिश्चय करने में राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति का पता लगाने का भी अवसर प्रदान करते हैं। यात्रा और दौरों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में राज्य सरकारों के अधिकारियों को जानकारी प्रदान करने में भी मदद की है।

5.1 2024–25 के दौरान एनसीएमईआई के माननीय सदस्य प्रोफेसर (डॉ.) शाहिद अख्तर द्वारा किए गए दौरों और शिरकत की गई बैठकों का विवरण

क्र. सं.	तारीख	दौरा का स्थान	दौरे का प्रयोजन तथा संगत परिणाम
1.	06 अप्रैल, 2024 से 14 अप्रैल, 2024	रांची, झारखंड	1. दौरे का उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में निहित शैक्षिक अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। 2. माननीय सदस्य (एसए) ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों और अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में बात की। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अल्पसंख्यक

क्र. सं.	तारीख	दौरा का स्थान	दौरे का प्रयोजन तथा संगत परिणाम
			संस्थानों की भूमिका के बारे में भी बताया। 3. अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की शक्तियों और कार्यों के बारे में बताया और राज्य में अल्पसंख्यकों को मजबूत करने के लिए विभिन्न सुझाव भी दिए। 4. अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने झारखंड के माननीय राज्यपाल और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
2.	13 जुलाई, 2024 से 15 जुलाई, 2024	रांची, झारखंड	5. माननीय सदस्य ने 13 जुलाई, 2024 को अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। 6. अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने झारखंड के माननीय राज्यपाल और राज्य सरकार के अधिकारियों से भी मुलाकात की। 7. वह 13 जुलाई, 2024 को प्रभात मंत्र प्राइवेट लिमिटेड, रांची, झारखंड द्वारा आयोजित ईद मिलन कार्यक्रम में "मुख्य अतिथि" के रूप में शामिल हुए।
3.	10 अगस्त, 2024	आगरा, उत्तर प्रदेश	8. माननीय सदस्य ने 15 जुलाई, 2024 को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच

क्र. सं.	तारीख	दौरा का स्थान	दौरे का प्रयोजन तथा संगत परिणाम
			द्वारा गाला हॉल, रांची, झारखंड में आयोजित 'संवाद से विश्वास' कार्यक्रम में भाग लिया।
4.	24 अगस्त, 2024 से 26 अगस्त, 2024	जम्मू एवं कश्मीर	9. माननीय सदस्य ने 10 अगस्त, 2024 को सर्किट हाउस, आगरा में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लिया।
5.	09 नवंबर, 2024	मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	10. माननीय सदस्य ने 24 अगस्त, 2024 को जम्मू और कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल के साथ बैठक में भाग लिया। 11. माननीय सदस्य ने 25 अगस्त, 2024 को अली स्पोर्ट्स अकादमी, बाग बांदीपोरा, जम्मू और कश्मीर द्वारा आयोजित ''कश्मीरी युवा और विकसित भारतरू आगे का रास्ता'' नामक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया और राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, शिक्षा मंत्रालय द्वारा एसकेआईसीसी के सभागार में आयोजित चिनार उर्दू किताब मेले के समापन समारोह में ''मुख्य अतिथि'' के रूप में भाग लिया।

क्र. सं.	तारीख	दौरा का स्थान	दौरे का प्रयोजन तथा संगत परिणाम
6.	23 दिसंबर, 2024 से 03 जनवरी, 2025	रांची–जमशेदपुर, झारखंड और भुवनेश्वर, ओडिशा	12. 09 नवंबर, 2024 को माननीय सदस्य ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के समक्ष आ रही समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद के साथ बैठक की जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। 13. अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के कुछ प्रमुख सदस्यों से भी मुलाकात की। 14. उन्होंने दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल, मुरादाबाद के वार्षिक दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भी भाग लिया। 15. 23 दिसंबर, 2024 को अपनी रांची यात्रा के दौरान माननीय सदस्य ने झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के साथ एक बैठक में भाग लिया। 16. 24 दिसंबर, 2024 को उन्होंने सर्किट हाउस में जमशेदपुर के उपायुक्त एवं शिक्षा विभाग के सरकारी अधिकारियों तथा जमशेदपुर के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के साथ बैठक की। 17. 26 दिसंबर, 2024 को उन्होंने रांची, झारखंड में अल्पसंख्यक

क्र. सं.	तारीख	दौरा का स्थान	दौरे का प्रयोजन तथा संगत परिणाम
			समुदायों और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लिया। 18. अपने दौरे के दौरान, माननीय सदस्य ने भुवनेश्वर, ओडिशा का दौरा किया और 29 दिसंबर, 2024 को माननीय राज्यपाल से मुलाकात की। 19. 29 दिसंबर, 2024 को उन्होंने एक्सआईएम विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा में एआईएसीएचई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एनसीएमईआई के सचिव और अवर सचिव के साथ 'मुख्य अतिथि' के रूप में अध्यक्षता की। 20. उन्होंने राज्य अतिथि गृह में भुवनेश्वर, ओडिशा के शिक्षा विभाग के सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त और सरकारी अधिकारियों तथा ओडिशा के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के साथ बैठक में भी भाग लिया।
7.	09 फरवरी, 2025 से 10 फरवरी, 2025	किशनगंज, बिहार	21. 09 फरवरी, 2025 को उन्होंने इमाम बुखारी विश्वविद्यालय, किशनगंज, बिहार के सभागार में "भारत में सामाजिक न्याय में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका" विषय पर

क्र. सं.	तारीख	दौरा का स्थान	दौरे का प्रयोजन तथा संगत परिणाम
			आयोजित सेमिनार में भाग लिया। 22. 10 फरवरी, 2025 को उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, किशनगंज, बिहार सरकार तथा अल्पसंख्यक समुदायों और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लिया।
8.	14 फरवरी, 2025 से 15 फरवरी, 2025	रांची और बोकारो, झारखंड	23. 15 फरवरी, 2025 को उन्होंने मेडिकेंट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड में आयोजित समारोह में "मानद अतिथि" के रूप में भाग लिया। 24. उन्होंने रांची में अल्पसंख्यक समुदायों और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भी भाग लिया।
9.	26 फरवरी, 2025 से 27 फरवरी, 2025	पटना, बिहार	25. माननीय सदस्य ने 26 फरवरी, 2025 को बिहार के माननीय राज्यपाल के साथ बैठक में भाग लिया।

अध्याय 6

वर्ष के दौरान प्राप्त याचिकाओं और शिकायतों का विश्लेषण

जब भी याचिकाएं/शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो आयोग निम्नलिखित कार्यों के तहत मामले पंजीकृत करता है:

- अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत अथवा उस समय प्रचलित किसी कानून के अन्तर्गत किए गए सुरक्षोपायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की अनुशंसा करना
- अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित अपनी पसंद की संस्थाओं के अल्पसंख्यक दर्जा तथा स्वरुप के संवर्धन एवं संरक्षण के उपाय विनिर्दिष्ट करना
- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रुप में किसी संस्था के दर्जा से संबंधित सभी प्रश्नों का विनिश्चय करना तथा इस रूप में उसके दर्जे की घोषणा करना।

1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक आयोग ने 228 (दो सौ अट्ठाईस) याचिकाएँ पंजीकृत कीं, जिनमें से 214 याचिकाएँ अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के लिए थीं, 03 (तीन) अपील याचिकाएँ थीं, 08 (आठ) विविध याचिकाएँ थीं और 01 (एक) समीक्षा आवेदन था। आयोग के माननीय न्यायालय ने 289 याचिकाओं का निपटारा किया जिसमें विरासत के मामले भी शामिल थे।

आयोग निम्नलिखित मुद्दों पर मामले पंजीकृत करता है:

- राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी न किया जाना/जारी करने में विलंब
- राज्य प्राधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान न किया जाना/जारी करने में विलंब
- उक्त अल्पसंख्यक द्वारा नए संस्थान खोलने की अनुमति प्रदान करने से इनकार करना
- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में अतिरिक्त पाठ्यक्रमों की अनुमति प्रदान करने से इनकार करना
- अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन

आयोग अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के हित को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित मामलों पर भी विचार करता है :

- छात्रों की संख्या में वृद्धि हो जाने पर भी शिक्षकों के अतिरिक्त पदों को सृजित करने के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को अनुमति प्रदान करने से इनकार करना
- शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मंजूरी प्रदान न करना
- सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तुलना में अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों के वेतनमान में असमानता

- सरकारी संस्थानों के समरूप अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को कंप्यूटर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि जैसी शिक्षण सहायक सामग्रियों/अन्य सुविधाओं से वंचित करना
- उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उर्दू में अन्य विषयों की पुस्तकों का उपलब्ध न होना
- उर्दू जानने वाले शिक्षकों की नियुक्ति न करना और अल्पसंख्यक स्कूल के अन्य शिक्षकों के साथ मदरसा शिक्षकों के वेतन में समानताय मदरसा कर्मचारियों को पर्याप्त वेतनय और मदरसों को अनुदान न जारी करना
- अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान न करना
- विश्वविद्यालयों द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को संबद्ध करने से इनकार किया जाना
- विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में और दूरदराज के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत सुविधाएं प्रदान करना आदि।

वर्ष के दौरान, आयोग के कार्यालय को ऐसे मामलों पर भी याचिकाएं / आवेदन प्राप्त हुए, जो आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर थे। संबंधित याचिकाकर्ताओं को सूचित करते हुए उचित कार्रवाई के लिए ये याचिकाएं/आवेदन संबंधित प्राधिकारियों को अग्रेषित किए गए।

वर्ष के दौरान माननीय आयोग द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को एमएससी प्रदान करने से संबंधित 159 मामलों का निर्णय किया गया। कुछ चयनित मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

प्रकरण संख्या 2024 का 241

विषय: **शारदा विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 32, 34, नॉलेज पार्क III, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201 310 को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन**

याचिकाकर्ता: **शारदा विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 32, 34, नॉलेज पार्क III, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201 310**

प्रतिवादी: **अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, कक्ष संख्या 3, नवीन भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ – 226 001**

आदेश 20 फरवरी, 2025 को सुनाया गया था। यह याचिका 25 जुलाई 2024 को याचिकाकर्ता संस्थान के अधिवक्ता श्री जुनैस पी. से शारदा विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 32, 34, नॉलेज पार्क iii, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश (जिसे आगे विश्वविद्यालय कहा गया है) को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र (संक्षेप में श्एमएससीश) प्रदान करने के लिए दस्ती रूप में प्राप्त हुई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी और याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय के चांसलर श्री प्रदीप कुमार गुप्ता का हलफनामा दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय में जैन अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट के संस्थापक और वर्तमान सदस्यों के विवरण के साथ नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल द्वारा दी गई याचिकाकर्ता की सोसाइटी

की विशिष्ट आईडी संख्यारू यूपी/2017/0116810 की प्रति, एनओसी के लिए राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 24 अप्रैल 2024 की प्रति, डाक रसीद और उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट, ट्रस्ट विलेख, पूरक ट्रस्ट विलेख की नोटरीकृत प्रतियां दायर की है। उन्होंने इस आयोग से अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता के पक्ष में शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट की आम सभा द्वारा पारित मूल प्रस्ताव भी दाखिल किया है। उन्होंने इस आयोग से अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता के पक्ष में जारी याचिकाकर्ता ट्रस्ट के शासी बोर्ड का मूल संकल्प भी दाखिल किया है। उन्होंने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 08 जून 2018 की प्रमाणित प्रति, साथ ही इसे वापस लेने के लिए प्रस्तुत आवेदन दिनांक 21 जुलाई 2023 और निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जारी निपटान पत्र दिनांक 19 अप्रैल 2024 की प्रमाणित प्रति भी दाखिल की है। उन्होंने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना के संबंध में 24 मार्च 2009 की राजपत्र अधिसूचना की प्रति भी दाखिल की है। उन्होंने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के तहत उक्त विश्वविद्यालय के पंजीकरण के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के अवर सचिव के 29 अक्टूबर 2010 के पत्र की एक प्रति भी दाखिल की है, जो शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार को संबोधित किया गया है। उन्होंने यह साबित करने के लिए कि श्री प्रदीप कुमार गुप्ता जैन समुदाय से हैं, तहसीलदार (सदर), आगरा, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया धर्म प्रमाण पत्र दिनांक 03 जुलाई 2018 भी दाखिल किया है।

छात्रों की संख्या के संबंध में गैर अनुदानित याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 12032 छात्रों में से 1356 छात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 615 छात्र ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 77 छात्र सिख अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 64 छात्र जैन अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 48 छात्र बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय से थे और 9872 छात्र हिंदू थे। यह बताया गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2022–23 में कुल 13822 छात्रों में से 1577 छात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 785 छात्र ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 97 छात्र सिख अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 91 छात्र जैन अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 60 छात्र बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 01 छात्र पारसी था और 11211 छात्र हिंदू थे। यह बताया गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2023–24 में कुल 16599 छात्रों में से 1829 छात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 979 छात्र ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 125 छात्र सिख अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 169 छात्र जैन अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 70 छात्र बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 02 छात्र पारसी थे और 13425 छात्र हिंदू थे। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि शैक्षणिक वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 877 शिक्षकों में से 52 शिक्षक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 10 शिक्षक ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 12 शिक्षक सिख अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 07 शिक्षक जैन अल्पसंख्यक समुदाय से थे और 796 शिक्षक हिंदू थे। शैक्षणिक वर्ष 2022–23 में कुल 843 शिक्षकों में से 70 शिक्षक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से

थे, 16 शिक्षक ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 13 शिक्षक सिख अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 07 शिक्षक जैन अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 01 शिक्षक बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय से था और 843 शिक्षक हिंदू थे। शैक्षणिक वर्ष 2023–24 में कुल 1104 शिक्षकों में से 71 शिक्षक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 20 शिक्षक ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 11 शिक्षक सिख अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 06 शिक्षक जैन अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 01 शिक्षक बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय से था और 995 शिक्षक हिंदू थे। बकले प्राइमरी स्कूल, कटक, उड़ीसा बनाम उड़ीसा सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ–साथ इस आयोग (2009 की प्रकरण संख्या 1320 में दिनांक 6 जुलाई 2010 को आयोग द्वारा पारित आदेश) ने भी स्पष्ट रूप से माना है कि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के प्रवेश का प्रतिशत ऐसे संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण करने के लिए कोई संकेतक नहीं है।

याचिका में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता संस्थान ने एनओसी प्रदान करने के लिए 24 फरवरी, 2024 को राज्य सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन किया है जो उसी दिन राज्य सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था तथा वह अभी भी राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित है। राज्य सक्षम प्राधिकारी ने अब तक याचिकाकर्ता संस्थान के पक्ष में एनओसी प्रदान नहीं की है और न ही उक्त आवेदन को अस्वीकार किया है और न ही याचिकाकर्ता को इसकी सूचना दी है। एनओसी प्रदान करने के लिए आवेदन की प्राप्ति से 90 दिन के बाद, याचिकाकर्ता ने एमएससी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संक्षेप में श्एनसीएमईआईश) अधिनियम, 2004 की धारा 10 और 11(एफ) के प्रावधानों के अनुसार सीधे इस आयोग में यह आवेदन दाखिल किया है।

प्रतिवादी को पंजीकृत नोटिस/ईमेल दिनांक 14 अगस्त 2024, 21 नवंबर 2024 और 02 दिसंबर 2024 के तामील हो जाने के बाद। 17 अक्टूबर 2024 को प्रतिवादी के विद्वान वकील ने विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का 08 अक्टूबर 2024 का पत्र दाखिल किया जो क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी (उच्चतर), मेरठ को संबोधित है। 18 नवंबर 2024 को याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा आयोग के कार्यालय में प्रत्युत्तर दायर किया गया। यह राज्य सरकार का आंतरिक संचार था और प्रतिवादी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने यह उपयुक्त और उचित समझा कि याचिकाकर्ता संस्थान को एमएससी जारी करने के लिए 28 नवंबर 2024 के आदेश के तहत इस आयोग द्वारा गठित समिति से सिफारिश के साथ भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। भौतिक निरीक्षण समिति को 02 दिसंबर 2024 का पत्र / ईमेल तामील हो जाने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट, गौतम बुद्ध नगर ने याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सकारात्मक टिप्पणियों के साथ 22 जनवरी 2025 की भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट भेजी है, जो भौतिक निरीक्षण समिति के सभी सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है। यह रिपोर्ट 22 जनवरी 2025 को आयोग के कार्यालय में प्राप्त हुई। भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट के साथ ट्रस्ट विलेख दिनांक 1995, जून 2006 (पूरक ट्रस्ट विलेख), अक्टूबर 2011, नवंबर 2011, नवंबर 2017 और जुलाई 2019 की प्रतियां और भारतीय

नर्सिंग परिषद, वास्तुकला परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग/ भारतीय चिकित्सा परिषद, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को भेजे गए संबद्धता/अनुमोदन पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना गया, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों, दस्तावेजों तथा शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय के चांसलर श्री प्रदीप कुमार गुप्ता के हलफनामे का अवलोकन किया गया।

याचिकाकर्ता संस्था ने इस आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया है कि इसे मुख्य रूप से जैन अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लाभ के लिए स्थापित किया गया है और इसे शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रशासित किया जा रहा है, जिसका प्रबंधन और संचालन जैन अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाता है। याचिकाकर्ता संस्थान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों तथा शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं याचिकाकर्ता संस्था के चांसलर श्री प्रदीप कुमार गुप्ता के हलफनामे से याचिका में किए गए उपरोक्त प्रकथनों की पुष्टि पर्याप्त रूप से होती है।

बकले प्राइमरी स्कूल, कटक, उड़ीसा बनाम उड़ीसा सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ–साथ इस आयोग (2009 की प्रकरण संख्या 1320 में दिनांक 6 जुलाई 2010 को आयोग द्वारा पारित आदेश) ने भी स्पष्ट रूप से माना है कि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के प्रवेश का प्रतिशत ऐसे संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण करने के लिए कोई संकेतक नहीं है। इस आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की संख्या उचित होनी चाहिए। प्रतिशत का निर्धारण वर्तमान जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या में विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय के वास्तविक अनुपात के आधार पर किया जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जैन अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या 0.11 प्रतिशत है।

मैंने याचिकाकर्ता संस्थान के पूरक न्यास विलेख का अनुशीलन किया है, जो 31 जनवरी 2006 को उप पंजीयक, आगरा के समक्ष पंजीकृत किया गया था, जो एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत एनओसी के लिए 24 अप्रैल 2024 को आवेदन दाखिल करने और एमएससी प्रदान करने के लिए 27 जुलाई 2024 को याचिका दायर करने से पहले का है।

शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट के 16 दिसंबर 1995 के न्यास विलेख के उद्देश्यों से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय के लाभार्थी जैन अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं। उक्त ट्रस्ट के 31 जनवरी 2006 के पूरक न्यास विलेख के उद्देश्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि इसका उद्देश्य सम्पूर्ण समाज की सेवा करना है। उक्त ट्रस्ट के पूरक न्यास विलेख में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि यह विलेख 16 दिसंबर 1995 के मूल न्यास विलेख में निष्पादित किया गया है, जो 16 दिसंबर 1995 को विधिवत पंजीकृत है। यह बही IV, खंड संख्या 15, पृष्ठ 181 से 188 पर उप पंजीयक, आगरा के कार्यालय में दस्तावेज संख्या 1541 के रूप में पंजीकृत है और इस दस्तावेज को मूल न्यास विलेख के साथ पढ़ा गया है। याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा पेश किए

सभी दस्तावेज स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता संस्थान के लाभार्थी जैन अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों और हलफनामे से भी उक्त तथ्य सिद्ध होता है। इस आयोग के समक्ष याचिकाकर्ता संस्थान की ओर से पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य का खंडन करने के लिए रिकॉर्ड में कोई दस्तावेज नहीं है।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए उक्त अप्रतिवादित साक्ष्य के आधार पर हम यह पाते हैं और मानते हैं कि शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, प्लॉट नंबर 32, 34, नॉलेज पार्क III, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किए जाने के लिए पात्र है। साक्ष्य यह भी साबित करता है कि उक्त शैक्षणिक संस्थान की स्थापना जैन अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को आगे बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी।

फलस्वरूप, शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, प्लॉट नंबर 32, 34, नॉलेज पार्क III, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश को इस शर्त के अधीन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 2(छ) के अर्थ के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शामिल गैर अनुदानित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में घोषित किया जाता है कि याचिकाकर्ता इस आशय का शपथ पत्र या वचनपत्र दाखिल करेगा कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय छात्रों की पात्रता और याचिकाकर्ता संस्थान में स्थान की उपलब्धता के अधीन जैन अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा। यदि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय इस आयोग द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर इस आयोग के उपरोक्त आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो एमएससी प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका स्वतरू ही खारिज हो जाएगी।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन के बाद, तदनुसार अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के मद्देनजर, इस आदेश के अनुरूप वर्तमान याचिका का निपटारा किया जाता है।

प्रकरण संख्या 2019 का 824

विषयः **सेंट ऐनी मैट्रिकुलेशन स्कूल, चूड़ापुरम, बेलाथुर डाकघर, होसुर तालुक, बागलूर, कृष्णागिरी जिला, तमिलनाडु – 635124 को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन**

याचिकाकर्ताः **सेंट ऐनी मैट्रिकुलेशन स्कूल, चूड़ापुरम, बेलाथुर डाकघर, होसुर तालुक, बागलूर, कृष्णागिरी जिला, तमिलनाडु – 635124**

प्रतिवादीः **प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, तमिलनाडु सरकार, रीना रोड, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु – 600 009**

आदेश 13 फरवरी, 2025 को सुनाया गया था। यह याचिका सेंट ऐनी मैट्रिकुलेशन स्कूल, चूड़ापुरम, बेलाथुर डाकघर, होसुर तालुक, बागलूर, कृष्णागिरी जिला, तमिलनाडु – 635124 को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र (संक्षेप में 'एमएससी') प्रदान करने के लिए 29 अक्टूबर 2019 को याचिकाकर्ता संस्थान के अधिवक्ता श्री जोस अब्राहम के माध्यम से दस्ती रूप में प्राप्त हुई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने याचिका में किए गए प्रकथनों के समर्थन में तथा यह साबित करने के लिए कि याचिकाकर्ता संस्थान के लाभार्थी ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं, मद्रास सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ सेंट ऐनी, मद्रास प्रांत की अध्यक्ष और याचिकाकर्ता संस्थान की अधिकृत प्रतिनिधि सिस्टर सागाया मैरी का हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता संस्थान छात्रों की पात्रता और याचिकाकर्ता संस्थान में स्थान की उपलब्धता के अधीन ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र उम्मीदवार को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल द्वारा दी गई याचिकाकर्ता सोसाइटी की विशिष्ट आईडी संख्या टीएन/2017/0155533 की प्रति, डाक रसीद और उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट के साथ एनओसी के लिए राज्य सक्षम अधिकारी के समक्ष जमा किए गए आवेदन दिनांक 08 फरवरी 2019 की प्रति दायर की है। उन्होंने मद्रास सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ सेंट ऐनी मद्रास प्रांत के पंजीकरण प्रमाणपत्र, संस्थापक सदस्यों की सूची के साथ संगम ज्ञापन, नियमों और विनियमों, संशोधित संगम ज्ञापन और नवीनतम शासी निकाय के सदस्यों की सूची की नोटरीकृत प्रतियां भी दायर की हैं। उन्होंने इस आयोग से अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता सोसाइटी की अध्यक्ष सिस्टर सागाया मैरी के पक्ष में शासी निकाय का मूल संकल्प दायर किया है और साथ ही 01 जून 2022 से 31 मई 2025 तक की अवधि के लिए संयुक्त निदेशक, निजी स्कूल निदेशालय, चेन्नई – 6 द्वारा जारी याचिकाकर्ता संस्था के नवीनतम मान्यता आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2023 की नोटरीकृत प्रति भी दाखिल की है।

01 जून 2019 तक छात्रों की संख्या के संबंध में गैर अनुदानित याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, यह बताया गया है कि कुल 445 छात्रों में से 21 छात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 46 छात्र ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से थे और 378 छात्र हिंदू थे। 01 जून 2020 तक छात्रों की संख्या के अनुसार, यह बताया गया है कि कुल 436 छात्रों में से 15 छात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 51 छात्र ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से थे और 370 छात्र हिंदू थे। 01 जून 2021 तक छात्रों की संख्या के अनुसार, यह बताया गया है कि कुल 422 छात्रों में से 12 छात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 55 छात्र ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से थे और 355 छात्र हिंदू थे। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि शैक्षणिक वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 18 शिक्षकों में से 07 शिक्षक ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से थे और 11 शिक्षक हिंदू थे। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि शैक्षणिक वर्ष 2020–21 के दौरान, कुल 18 शिक्षकों में से 07 शिक्षक ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के थे और 11 शिक्षक हिंदू थे। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि शैक्षणिक वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 08 शिक्षकों में से 07 शिक्षक ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से थे और 01 शिक्षक हिंदू थे।

याचिका में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता संस्थान ने एनओसी प्रदान करने के लिए 08 फरवरी, 2019 को राज्य सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन किया है जो 11 फरवरी, 2019 को राज्य सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त हुआ तथा वह अभी भी राज्य सक्षम प्राधिकारी के पास लंबित है। राज्य सक्षम प्राधिकारी ने अब तक याचिकाकर्ता संस्थान के पक्ष में एनओसी प्रदान नहीं की है और न ही

उक्त आवेदन को अस्वीकार किया है और न ही याचिकाकर्ता को इसकी सूचना दी है। एनओसी प्रदान करने के लिए आवेदन की प्राप्ति से 90 दिन के बाद, याचिकाकर्ता ने एमएससी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संक्षेप में 'एनसीएमईआई') अधिनियम, 2004 की धारा 10 और 11 (एफ) के प्रावधानों के अनुसार सीधे इस आयोग में यह आवेदन दाखिल किया है।

प्रतिवादी की ओर से 10 दिसंबर 2019, 19 मई 2022, 19 सितंबर 2022, 01 नवंबर 2022, 28 दिसंबर 2022, 19 अप्रैल 2023, 06 जुन 2023, 02 अगस्त 2023 और 27 सितंबर 2023 का पंजीकृत नोटिस/ईमेल तामील होने के बाद, निदेशक, मैट्रिकुलेशन स्कूल, चेन्नई–6 ने डाक से मार्च 2020 का उत्तर भेजा जो आयोग को 27 जुलाई 2020 को प्राप्त हुआ। निदेशक, निजी स्कूल, चेन्नई–6 ने 04 अगस्त 2023 का उत्तर डाक से भेजा है जो आयोग को 17 अगस्त 2023 को प्राप्त हुआ। उक्त उत्तर में प्रतिवादी द्वारा कहा गया है कि याचिकाकर्ता संस्थान ने एमएससी प्रदान करने के लिए आवेदन दायर किया है। राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा (X2) विभाग के 12 अक्टूबर 1998 के जीओ (एमएस) संख्या 375 और स्कूल शिक्षा (X2) विभाग के 03 नवंबर 2008 के जीओ (एमएस) संख्या 214 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया जा रहा है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता स्कूल का प्रबंधन संबंधित तहसीलदारों द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शैक्षणिक संस्थान स्कूल शिक्षा (X2) विभाग के 12 अक्टूबर 1998 के जीओ (एमएस) संख्या 375 और स्कूल शिक्षा (X2) विभाग के 03 नवंबर 2008 के जीओ (एमएस) संख्या 214 में निर्धारित दिशानिर्देशों सहित अतिरिक्त दिशानिर्देशों को पूरा करता है और याचिकाकर्ता का दावा कानून के तहत भी स्वीकार्य नहीं है और इसे योग्यता से रहित होने के कारण खारिज किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, प्रार्थना की जाती है कि आयोग प्रतिवादी की आपत्तियों पर विचार करे तथा सरकारी आदेशों के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करे।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अनुवर्ती दलीलें दायर कीं और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता संस्थान धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान है और मद्रास सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ सेंट ऐनी मद्रास प्रोविंस द्वारा संचालित है, जो मुख्य रूप से ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा गठित पंजीकृत सोसाइटी है। याचिकाकर्ता संस्थान ने एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत एनओसी प्रदान करने के लिए 08 फरवरी, 2019 को प्रतिवादी के समक्ष आवेदन जमा किया था। उक्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन पूरे हो जाने के बाद याचिकाकर्ता संस्थान ने एमएससी के लिए इस आयोग के समक्ष आवेदन किया और यह मामला इस आयोग द्वारा हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला है। यह आयोग एमएससी की घोषणा के उद्देश्य से शीर्ष न्यायालय की न्यायिक घोषणाओं के साथ पठित एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 के अनुसार कार्य कर रहा है। याचिकाकर्ता संस्थान ने एनओसी प्रदान करने के लिए आवेदन किया था, जबकि प्रतिवादी द्वारा दाखिल किए गए जवाब में एनओसी के लिए उक्त आवेदन, जो प्रतिवादी द्वारा विधिवत रूप से प्राप्त किया गया है, की प्राप्ति और आगे की कार्रवाई के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। अपने उत्तर में, प्रतिवादी ने तमिलनाडु राज्य द्वारा एमएससी जारी

करने के संबंध में कुछ सरकारी आदेशों का उल्लेख किया है, जैसे कि 12 अक्टूबर 1998 का सरकारी आदेश संख्या 375 और 03 नवंबर 2008 का सरकारी आदेश संख्या 214 आदि। इनमें से कोई भी सरकारी आदेश एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत एनओसी जारी करने से संबंधित नहीं है, इसलिए वर्तमान मामला इस आयोग द्वारा हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला है। सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ क्लूनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2018 की सिविल संख्या 3945) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 18 अप्रैल 2018 के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 और 11 की प्रयोज्यता के संबंध में कानून तय किया है और माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त घोषणा के मद्देनजर प्रतिवादी द्वारा अपनाया गया रुख कानून की नजर में टिक नहीं पाएगा और इसलिए प्रार्थना की गई कि यह आयोग न्याय और समानता के हित में याचिकाकर्ता संस्थान को एमएससी जारी करे।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना गया, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों, दस्तावेजों तथा याचिकाकर्ता सोसाइटी की अध्यक्ष तथा याचिकाकर्ता संस्थान की अधिकृत प्रतिनिधि सिस्टर सागाया मैरी के शपथपत्र का अवलोकन किया गया।

याचिकाकर्ता संस्थान ने इस आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया है कि इसे मुख्य रूप से ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लाभ के लिए स्थापित किया गया है और इसे मद्रास सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ सेंट ऐनी मद्रास प्रोविंस द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका प्रबंधन और संचालन ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाता है। याचिका में किए गए उपरोक्त प्रकथनों को याचिकाकर्ता संस्थान की ओर से पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य और याचिकाकर्ता सोसाइटी की अध्यक्ष सिस्टर सगाया मैरी और याचिकाकर्ता संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि के भी शपथ पत्र से पर्याप्त समर्थन मिलता है।

प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन का उचित उत्तर नहीं दिया है। प्रतिवादी एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 के प्रावधानों, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों को समझने में भी विफल रहा है और इस आयोग के समक्ष गलत तरीके से जवाब दाखिल किया है। याचिकाकर्ता ने एमएससी प्रदान करने के लिए राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत एनओसी प्रदान करने के लिए राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया है। इसलिए तमिलनाडु सरकार के दिशानिर्देश वर्तमान याचिकाकर्ता संस्थान पर लागू नहीं होते हैं। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिवादी द्वारा अपनाया गया रुख कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने एमएससी प्रदान करने के लिए सभी मानदंड पूरे कर लिए हैं। सक्षम प्राधिकारी एनओसी प्रदान करने के उनके आवेदन पर विचार करने में विफल रहे हैं। अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का संवैधानिक अधिकार है। ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा याचिकाकर्ता संस्था को स्थापित और प्रशासित किया जाता है। प्रतिवादी द्वारा दाखिल किया गया उत्तर स्पष्ट रूप से सिस्टर्स का सेंट जोसेफ ऑफ क्लूनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 3945/2018) के मामले में माननीय

उच्चतम न्यायालय के 18 अप्रैल 2018 के फैसले के खिलाफ है। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला इस प्रकार है:

> ''हालाँकि, धारा 10(1), जिसे 2006 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 11(च) के साथ ही पेश किया गया था, धारा 11(च) में निहित पूर्वोक्त शक्ति का एक पहलू, अर्थात अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के समय उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का पहलू गढ़ती है। इस प्रकार, कोई व्यक्ति जो 2006 के संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना चाहता है, उसे उक्त उद्देश्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए केवल सक्षम प्राधिकारी के पास अवश्य आवेदन करना चाहिए। श्री हेज के इस तर्क से सहमत होना थोड़ा मुश्किल है कि उक्त शक्तियाँ संगामी हैं। सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ें, तो 2006 के संशोधन अधिनियम के बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना के लिए सभी आवेदन केवल कानून के तहत स्थापित सक्षम प्राधिकारी के पास जाने चाहिए। दूसरी ओर, स्थापना के बाद किसी भी चरण पर किसी शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में घोषित करने के लिए, एनसीएमईआई के पास इस प्रश्न पर निर्णय लेने और ऐसी संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे की घोषणा करने की शक्ति होगी।''

एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10, धारा 12ए और धारा 12बी के प्रावधानों के अनुसार, जो व्यक्ति अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना चाहता है, उसे एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत उक्त उद्देश्य के लिए एनओसी के लिए राज्य सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करना होता है। 2004 के अधिनियम ने धारा 12ए के तहत राज्य के सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ तथा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए प्राधिकारियों के ऐसे आदेशों के खिलाफ एनसीएमईआई में अपील करने की शक्तियां भी प्रदान की थी जो एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12बी के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के आवेदन को अस्वीकार कर देता है।

एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 के प्रावधानों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए, इस आयोग के पास मूल और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार हैं। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने के इच्छुक किसी भी शैक्षणिक संस्थान के पास दो विकल्प हैं। पहला, संस्थान किसी भी शैक्षणिक संस्थान को एमएससी प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है और यदि उपरोक्त प्राधिकारी एमएससी प्रदान करने के आवेदन को अस्वीकार कर देता है, तो पीड़ित व्यक्ति प्राधिकारी के इस तरह के आदेश के खिलाफ एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12बी के तहत इस आयोग में अपील कर सकता है। दूसरा, एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत, जो कोई भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना चाहता है, उसे एनओसी के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करना होगा और यदि सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने से 90 दिन की अवधि के भीतर

एनओसी प्रदान नहीं करता है या आवेदन खारिज कर दिया गया है लेकिन याचिकाकर्ता को सूचित नहीं किया गया है, तो यह माना जाएगा कि एनओसी प्रदान की गई है और याचिकाकर्ता एमएससी प्रदान करने के लिए सीधे इस आयोग के पास आवेदन दाखिल कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने से इनकार करने के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12ए के तहत इस आयोग के समक्ष अपील कर सकता है।

मेरी राय में, शैक्षणिक संस्थान एमएससी प्रदान करने के लिए राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने या एनओसी प्रदान करने के लिए आवेदन दाखिल करने का विकल्प चुन सकता है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने एनओसी प्रदान करने के लिए राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया है और याचिकाकर्ता संस्थान के तर्क के अनुसार उक्त आवेदन अभी भी लंबित है। याचिकाकर्ता ने एमएससी प्रदान करने के लिए राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई आवेदन दाखिल नहीं किया है, इसलिए वर्तमान मामले में प्रतिवादी के उत्तर में उल्लिखित जीओ की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

बकले प्राइमरी स्कूल, कटक, उडधिसा बनाम उडधिसा सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ–साथ इस आयोग (इस आयोग द्वारा 2009 की प्रकरण संख्या 1320 में 6 जुलाई 2010 को पारित आदेश) ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के प्रवेश का प्रतिशत ऐसे संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण करने के लिए कोई संकेतक नहीं है। इस आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की संख्या उचित होनी चाहिए। प्रतिशत का निर्धारण वर्तमान जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या में विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय के वास्तविक अनुपात के आधार पर किया जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु राज्य में ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या 6.12 प्रतिशत है।

मैंने मद्रास सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ सेंट ऐनीज़ मद्रास प्रोविंस के संशोधित संगम ज्ञापन का अनुशीलन किया है, जो 05 अक्टूबर 2018 को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, चेन्नई उत्तर के समक्ष पंजीकृत किया गया था, जो एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत एनओसी के लिए 08 फरवरी 2019 को आवेदन दाखिल करने और एमएससी प्रदान करने के लिए 29 अक्टूबर 2019 को याचिका दायर करने से पहले का है।

सेंट मद्रास सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ सेंट ऐनीज़ मद्रास प्रोविंस के संशोधित ज्ञापन और याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता संस्थान के लाभार्थी मुख्य रूप से ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों और हलफनामे से भी उक्त तथ्य सिद्ध होता है। इस आयोग के समक्ष याचिकाकर्ता संस्थान की ओर से पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य का खंडन करने के लिए रिकॉर्ड में कोई दस्तावेज नहीं है।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए अप्रतिवादित साक्ष्य के आधार पर हम यह पाते हैं

और मानते हैं कि मद्रास सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ सेंट ऐनीज़ मद्रास प्रोविंस द्वारा संचालित सेंट ऐनी मैट्रिकुलेशन स्कूल, चूड़ापुरम, बेलाथुर डाकघर, होसुर तालुक, बागलूर, कृष्णागिरी जिला, तमिलनाडु – 635124 धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के लिए पात्र है। साक्ष्यों से यह भी साबित होता है कि उक्त शैक्षणिक संस्थान की स्थापना ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को आगे बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से की गई है।

परिणामस्वरूप, सेंट ऐनीज़ मद्रास प्रोविंस द्वारा संचालित सेंट ऐनी मैट्रिकुलेशन स्कूल, चूड़ापुरम, बेलाथुर डाकघर, होसुर तालुक, बागलूर, कृष्णागिरी जिला, तमिलनाडु – 635124 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 2(छ) के अर्थ के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शामिल गैर अनुदानित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में घोषित किया जाता है।

तदनुसार अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

उपरोक्त के मद्देनजर, इस आदेश के अनुरूप वर्तमान याचिका का निपटारा किया जाता है।

प्रकरण संख्या 2024 का 291

विषयः **एआईएम इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, रुमदामोल, डावोरलिम, साल्सेट, गोवा – 403707 को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन**

याचिकाकर्ताः **एआईएम इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, रुमदामोल, दावोरलिम, साल्सेट, गोवा – 403707**

प्रतिवादीः **प्रमुख सचिव (गृह), गृह विभाग (सामान्य), सचिवालय, पोरवोरिम, गोवा – 403521**

आदेश 28 जनवरी, 2025 को सुनाया गया था। यह याचिका 03 दिसंबर 2024 को एआईएम इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, रुमदामोल, डावरलिम, साल्सेट, गोवा – 403707 को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र (संक्षेप में 'एमएससी') प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता संस्थान के अधिवक्ता श्री जुनैस पी. के माध्यम से दस्ती रूप में प्राप्त हुई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने याचिका में किए गए प्रकथनों के समर्थन में और यह साबित करने के लिए कि याचिकाकर्ता संस्थान के लाभार्थी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं, अंजुमन इस्लाहुल मुसलामीन के अध्यक्ष और आवेदक संस्थान यानी एआईएम इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, रुमदामोल, दावोरलिम, साल्सेट, गोवा – 403707 के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अशरफ एम पंडियाल का हलफनामा दायर किया।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल द्वारा याचिकाकर्ता की सोसाइटी को प्रदान की गई विशिष्ट आईडी संख्याः जीए/2019/0228983 की प्रति, राज्य सक्षम प्राधिकारी यानी प्रमुख सचिव (गृह), गृह विभाग (सामान्य), सचिवालय, पोरवोरिम, गोवा को दस्ती रूप से दिए गए एनओसी आवेदन दिनांक 15 अप्रैल 2024 की प्रति, अंजुमन इस्लाहुल मुसलामीन के 14 नवंबर 2024 के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों की सूची के साथ संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रति, नियमों और विनियमों की प्रमाणित प्रति, सोसाइटी के वर्तमान सदस्यों की सूची के साथ संशोधित संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रति दाखिल की है।

उन्होंने उप निदेशक (शैक्षिक), शिक्षा निदेशालय, गोवा सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 03 मई 2016, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2016–17 के लिए याचिकाकर्ता संस्थान को 10वीं कक्षा तक गैर अनुदानित संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, की नोटरीकृत प्रति तथा इस आयोग से एमएससी प्राप्त करने के लिए अंजुमन इस्लाहुल मुसलामीन के अध्यक्ष और आवेदक संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अशरफ एम पंडियाल के पक्ष में सोसाइटी की आम सभा द्वारा पारित संकल्प भी दाखिल किया है।

याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा छात्रों की संख्या के संबंध में दी गई जानकारी के अनुसार, यह बताया गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 607 छात्रों में से 577 छात्र मुस्लिम समुदाय से थे, और 30 छात्र हिंदू थे और शैक्षणिक वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 623 छात्रों में से 587 छात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 01 छात्र ईसाई समुदाय से था और 35 छात्र हिंदू थे और शैक्षणिक वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 641 छात्रों में से 616 छात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से थे और 25 छात्र हिंदू थे। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि शैक्षणिक वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 25 शिक्षकों में से 11 शिक्षक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 02 शिक्षक ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से थे और 12 शिक्षक हिंदू थे। शैक्षणिक वर्ष 2023–24 में कुल 25 शिक्षकों में से 11 शिक्षक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 02 शिक्षक ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से थे और 12 शिक्षक हिंदू थे तथा शैक्षणिक वर्ष 2024–25 में कुल 25 शिक्षकों में से 11 शिक्षक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 02 शिक्षक ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से थे और 12 शिक्षक हिंदू थे।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता संस्थान ने एनओसी प्रदान करने के लिए 15 अप्रैल 2024 को सक्षम प्राधिकारी अर्थात प्रमुख सचिव (गृह), गृह विभाग (सामान्य), सचिवालय, पोरवोरिम, गोवा के समक्ष राज्य सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है और सक्षम प्राधिकारी ने आदेश संख्या 27/16/2020–एचडी(जी)/3402 दिनांक 20 सितंबर 2024 के माध्यम से याचिकाकर्ता संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना गया, याचिका की दलीलों, याचिकाकर्ता द्वारा दायर दस्तावेजों और अंजुमन इस्लाहुल मुसलामीन के अध्यक्ष और इस आयोग से एमएससी प्राप्त करने के लिए आवेदक संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अशरफ एम पंडियाल के हलफनामे का अवलोकन किया गया। मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए, प्रतिवादी को इस याचिका का नोटिस देने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है क्योंकि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता संस्थान के पक्ष में एनओसी प्रदान कर दी है।

याचिकाकर्ता संस्थान ने इस आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया है कि इसे मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लाभ के लिए स्थापित किया गया है और इसे अंजुमन इस्लाहुल मुसलामीन द्वारा प्रशासित किया जा रहा है जिसका प्रबंधन और संचालन मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाता है। याचिका में किए गए उपरोक्त प्रकथनों को याचिकाकर्ता संस्थान की ओर से पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य और अंजुमन इस्लाहुल मुसलामीन के अध्यक्ष और याचिकाकर्ता संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अशरफ एम. पंडियाल के शपथ पत्र से पर्याप्त समर्थन मिलता है।

बकले प्राइमरी स्कूल, कटक, उड़ीसा बनाम उड़ीसा सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ–साथ इस आयोग (इस आयोग द्वारा 2009 की प्रकरण संख्या 1320 में दिनांक 6 जुलाई 2010 को पारित आदेश) ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के प्रवेश का प्रतिशत ऐसे संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण करने के लिए कोई संकेतक नहीं है। इस आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की संख्या उचित होनी चाहिए। प्रतिशत का निर्धारण वर्तमान जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या में विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय के वास्तविक अनुपात के आधार पर किया जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या 8.33 प्रतिशत है।

मैंने अंजुमन इस्लाहुल मुसलामीन के संशोधित ज्ञापन का अवलोकन किया है, जो जिला रजिस्ट्रार, दक्षिण गोवा, मडगाव के समक्ष 09 अक्टूबर 2023 को पंजीकृत किया गया था, जो एमएससी प्रदान करने के लिए 03 दिसंबर 2024 को याचिका दायर करने से पहले का है, इसलिए स्पष्ट है कि एमएससी प्रदान करने के लिए इस आयोग के समक्ष याचिका दायर करने से पहले संशोधन किया गया है।

याचिकाकर्ता संस्था द्वारा पेश किए गए संशोधित संगम ज्ञापन और सभी अन्य दस्तावेज स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता संस्थान के लाभार्थी मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों और शपथ पत्र से भी उक्त तथ्य सिद्ध होते हैं। याचिकाकर्ता संस्थान की ओर से पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य का खंडन करने के लिए रिकॉर्ड में कोई दस्तावेज नहीं है।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए उक्त अप्रतिवादित साक्ष्य के आधार पर हम यह पाते हैं और मानते हैं कि अंजुमन इस्लाहुल मुसल्मीन द्वारा संचालित एआईएम इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, रुमदामोल, दावोरलिम, साल्सेट, गोवा – 403707 धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के लिए पात्र है। साक्ष्य यह भी साबित करता है कि उक्त शैक्षणिक संस्थान की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को आगे बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी।

परिणामस्वरूप, एआईएम इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, रुमदामोल, डावोरलिम, साल्सेट, गोवा – 403707 को इस शर्त के अधीन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 2(छ) के अर्थ के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शामिल अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में घोषित किया जाता है कि याचिकाकर्ता इस आशय का शपथ पत्र या वचनपत्र दाखिल करेगा कि याचिकाकर्ता संस्थान छात्रों की पात्रता और याचिकाकर्ता संस्थान में स्थान की उपलब्धता के अधीन मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा। यदि याचिकाकर्ता संस्थान इस आयोग द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर इस आयोग के उपरोक्त आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो एमएससी प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका स्वतरू ही खारिज हो जाएगी।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन के बाद, तदनुसार अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।

हालांकि, स्पष्ट किया जाता है कि यदि राज्य सरकार को याचिकाकर्ता संस्थान अर्थात एआईएम इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, रुमदामोल, डावोरलिम, साल्सेट, गोवा – 403707 के पक्ष में एमएससी प्रदान करने में कोई आपत्ति है, तो राज्य एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12 (ग) के तहत एमएससी को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

उपरोक्त के मद्देनजर, इस आदेश के अनुरूप वर्तमान याचिका का निपटारा किया जाता है।

अध्याय 7

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारों की वंचना और विश्वविद्यालयों से संबद्धता

संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार है। तथापि, यह अधिकार शैक्षिक मानकों में उत्कृष्टता को बनाए रखने एवं सुगम बनाने के लिए राज्य की विनियामक शक्तियों के अधीन है। टीएमए पई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एससीसी 481 के मामले में उच्चतम न्यायालय के 11 न्यायाधीशों की पीठ ने अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित एवं संचालित करने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को स्पष्ट किया है जो उन नियमों और विनियमों से अबाधित है जो अनावश्यक रूप से उनकी स्वायत्तता पर चोट करते हैं। स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार में मोटे तौर पर निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं:

- छात्रों का दाखिला करना
- उचित शुल्क संरचना नियत करना
- शासी निकाय का गठन करना
- कर्मचारियों (शिक्षण और शिक्षणेतर) की नियुक्ति करना
- यदि किसी कर्मचारी द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरती जाती है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना।

यह माना गया कि अल्पसंख्यक संस्थानों को शैक्षणिक संस्थानों के अपेक्षित उत्कृष्टता मानकों से नीचे गिरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि प्रबंधन का काम अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा ही किया जाना चाहिए, लेकिन उसे दूसर संस्थानों के समकक्ष गुणवत्ता बनाए रखने के कदम उठाने चाहिए। संचालित करने का अधिकार निरपेक्ष न होने के कारण यह शैक्षिक मानकों का सुनिश्चय करने और उनकी उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए विनियामक उपायों के अधीन है और ऐसा खास तौर पर व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश से जुड़े मामलों में होता है।

आयोग का माननीय न्यायालय अल्पसंख्यकों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों) के अधिकारों के अपवंचन से संबंधित मामलों पर विचार करता है, जिसमें उनकी पसंद के विश्वविद्यालयों से उनकी संबद्धता से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान, आयोग द्वारा महाविद्यालयों और उन्हें सम्बद्ध करने वाले विश्वविद्यालयों के बीच विवादों से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया।

अध्याय 8

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के हवाले तथा आयोग की अनुशंसाएं

अधिनियम की धारा 11(क) के अनुसार, आयोग अल्पसंख्यकों की शिक्षा से सम्बन्धित किसी प्रश्न, जो उसे संदर्भित किया जा सकता है, पर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देगा।

8.1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारियों/प्राधिकारियों के साथ बैठकरू

आयोग एनसीएमईआई अधिनियम की धारा 10 के तहत और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 (1992 का 19) में निहित प्रावधानों के अनुसार नियुक्त राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारियों और प्राधिकारियों से बातचीत करता है और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के मामलों से निपटने के संबंध में उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करता है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की है। असम, मणिपुर, दादरा एवं नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख ने अभी तक सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वहां याचिकाकर्ता संस्थान अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र (एमएससी) प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सीधे आवेदन कर सकते हैं। एमएससी प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़, सिक्किम, दादरा और नगर हवेली, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी के पास प्राधिकारी नहीं हैं। ऐसी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया है जिन्होंने अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। राज्य सक्षम प्राधिकारी की सूची अनुबंध–3 में दी गई है।

8.2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारियों/प्राधिकारियों को सलाह

आयोग के न्यायालय ने कई मामलों में आयोग के सचिव को निर्देश दिया है कि वह राज्य के सक्षम प्राधिकारियों को 2019 की प्रकरण संख्या 217 में आयोग के निर्णय का संदर्भ देने का निर्देश दें, जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि राज्यों को राज्य में अल्पसंख्यकों के अनुपात या इसके कार्यान्वयन का निर्धारण और सत्यापन करने के लिए किसी अन्य उचित सूत्र तथा नियमों और विनियमों के आधार पर प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में अल्पसंख्यक छात्रों के प्रवेश के लिए न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित करना चाहिए।

इसी तर्ज पर, 2023 की प्रकरण संख्या 363 में निर्णय पारित किया गया। निर्णय का विवरण नीचे दिया गया हैरू

8.2.1 2023 की प्रकरण संख्या 363

विषयः **एंग्लो अरेबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अजमेरी गेट, दिल्ली – 110006 को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन**

आवेदकः **एंग्लो अरेबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अजमेरी गेट, दिल्ली – 110006**

प्रतिवादीः **सहायक शिक्षा निदेशक (अधिनियम), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कमरा संख्या 214–ए, पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054**

आदेश 02 मई, 2024 को सुनाया गया था। यह आवेदन एंग्लो अरेबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अजमेरी गेट, दिल्ली – 110006 को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र (संक्षेप में 'एमएससीश') प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता संस्थान के वकील श्री जुनैस पी. के माध्यम से 11 दिसंबर 2023 को दस्ती रूप से प्राप्त हुआ है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने याचिका में किए गए प्रकथनों के समर्थन में और यह भी साबित करने के लिए दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के सचिव और आवेदक संस्थान अर्थात एंग्लो अरेबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अजमेरी गेट, दिल्ली – 110006 के अधिकृत प्रतिनिधि प्रो. कहकशां वाई दान्याल का हलफनामा दायर किया कि याचिकाकर्ता संस्थान के लाभार्थी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल द्वारा याचिकाकर्ता की सोसाइटी को प्रदान की गई विशिष्ट आईडी संख्याः डीएल/2017/0181149 की नोटरीकृत प्रति, राज्य सक्षम प्राधिकारी यानी सहायक शिक्षा निदेशक (अधिनियम), शिक्षा निदेशालय को भेजे गए आवेदन दिनांक 29 मार्च 2023 की फोटोकॉपी, दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के पंजीकरण प्रमाणपत्र की नोटरीकृत प्रति, सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों की सूची के साथ संगम ज्ञापन की नोटरीकृत प्रति, सोसाइटी के वर्तमान सदस्यों की सूची के साथ 11 नवंबर 2016 के संशोधित संगम ज्ञापन की नोटरीकृत प्रति, उप सचिवध्संयुक्त सचिव (संबद्धता), सीबीएसई द्वारा अनुदानित याचिकाकर्ता संस्थान को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2030 तक की अवधि के लिए जारी संबद्धता आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2024 की नोटरीकृत प्रति और इस आयोग से एमएससी प्राप्त करने के लिए दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के सचिव प्रो. कहकशां वाई. दानियाल के पक्ष में सोसाइटी की आम सभा द्वारा पारित संकल्प दाखिल किया है।

याचिकाकर्ता अनुदानित संस्थान द्वारा छात्रों की संख्या के संबंध में प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, यह बताया गया है कि 2020–21 में कुल 1761 छात्रों में से 1749 छात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से थे और 12 छात्र हिंदू थे, 2021–22 में कुल 1590 छात्रों में से 1587 छात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से थे और 3 छात्र हिंदू थे और 2022–23 में कुल 1698 छात्रों में से सभी छात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 2020–21 में कुल 45 शिक्षकों में से 44 शिक्षक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 2021–22 में कुल 39 शिक्षकों में से 38 शिक्षक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से थे और 2022–23 में कुल 37 शिक्षकों में से 36 शिक्षक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से हैं।

याचिका में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता संस्थान ने 29 मार्च, 2023 को एनओसी प्रदान करने के लिए राज्य सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन किया है जो 03 अप्रैल, 2023 को राज्य सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त हुआ तथा उक्त आवेदन

अभी भी राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित है। राज्य सक्षम प्राधिकारी ने अब तक याचिकाकर्ता संस्थान के पक्ष में एनओसी प्रदान नहीं की है और न ही उक्त आवेदन को अस्वीकार किया है और न ही याचिकाकर्ता को इसकी सूचना दी है। एनओसी प्रदान करने के लिए आवेदन की प्राप्ति से 90 दिन के बाद, याचिकाकर्ता ने एमएससी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संक्षेप में 'एनसीएमईआई') अधिनियम, 2004 की धारा 10 और 11 (एफ) के प्रावधानों के अनुसार सीधे इस आयोग में यह याचिका दाखिल की है।

01 जनवरी, 2024 के पंजीकृत नोटिस के तामील हो जाने के बावजूद प्रतिवादी से कोई उत्तर/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आयोग ने यह उपयुक्त और उचित समझा कि याचिकाकर्ता संस्थान को एमएससी जारी करने के लिए 14 फरवरी, 2024 के आदेश के तहत इस आयोग द्वारा गठित समिति से सिफारिश के साथ भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जाए। भौतिक निरीक्षण समिति को 15 फरवरी 2024 और 21 मार्च 2024 के पत्र/ईमेल के तामील हो जाने के बाद, भौतिक निरीक्षण समिति, दिल्ली ने 18 अप्रैल 2024 की भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट भेजी है जो आयोग के कार्यालय में 19 अप्रैल 2024 को प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त करने के अधीन याचिकाकर्ता संस्थान को एमएससी प्रदान करने की सिफारिश की है। वर्तमान में सम्बद्धता प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। 19 अप्रैल 2024 को याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उप सचिव/संयुक्त सचिव (सम्बद्धता), सीबीएसई द्वारा अनुदानित याचिकाकर्ता संस्थान को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2030 तक की अवधि के लिए जारी किए गए संबद्धता आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2024 की नोटरीकृत प्रति दायर की।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना गया, याचिका की दलील, याचिकाकर्ता द्वारा दायर दस्तावेजों और दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के सचिव प्रो. कहकशां वाई दान्याल के हलफनामे का अवलोकन किया गया।

याचिकाकर्ता संस्था ने इस आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया है कि इसे मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लाभ के लिए स्थापित किया गया है और इसे दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रशासित किया जा रहा है जिसका प्रबंधन और संचालन मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाता है। याचिका में किए गए उपरोक्त प्रकथनों को याचिकाकर्ता संस्थान की ओर से पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य और दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के सचिव प्रो. कहकशां वाई दान्याल के शपथ पत्र से पर्याप्त समर्थन मिलता है।

बकले प्राइमरी स्कूल, कटक, उड़ीसा बनाम उड़ीसा सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ–साथ इस आयोग (2009 की प्रकरण संख्या 1320 में दिनांक 6 जुलाई 2010 को आयोग द्वारा पारित आदेश) ने भी स्पष्ट रूप से माना है कि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के प्रवेश का प्रतिशत ऐसे संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण करने के लिए कोई संकेतक नहीं है। इस आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के

छात्रों की संख्या उचित होनी चाहिए। प्रतिशत का निर्धारण वर्तमान जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या में विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय के वास्तविक अनुपात के आधार पर किया जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या 12.86 प्रतिशत है।

मैंने याचिकाकर्ता संस्थान के संशोधित संगम ज्ञापन का अनुशीलन किया है, जो 11 नवंबर 2016 को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के यहां पंजीकृत किया गया था, जो एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत एनओसी के लिए 29 मार्च 2023 को आवेदन दाखिल करने और एमएससी प्रदान करने के लिए 11 दिसंबर 2023 को याचिका दायर करने से पहले का है। अतः यह स्पष्ट है कि संशोधन एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के अंतर्गत राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करने तथा एमएससी प्रदान करने के लिए इस आयोग के समक्ष याचिका दायर करने से पहले किया गया है।

याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा पेश किए गए संशोधित संगम ज्ञापन दिनांक 11 नवंबर 2016 और सभी अन्य दस्तावेज स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता संस्थान के लाभार्थी मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों और हलफनामे से भी उक्त तथ्य सिद्ध होता है। याचिकाकर्ता संस्थान की ओर से पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य का खंडन करने के लिए रिकॉर्ड में कोई दस्तावेज नहीं है।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए उक्त अप्रतिवादित साक्ष्य के आधार पर हम यह पाते हैं और मानते हैं कि दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित एंग्लो अरेबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अजमेरी गेट, दिल्ली – 110006 धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करने के लिए पात्र है। साक्ष्य यह भी साबित करता है कि उक्त शैक्षणिक संस्थान की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को आगे बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी।

परिणामस्वरूप, एंग्लो अरेबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अजमेरी गेट, दिल्ली – 110006 को इस शर्त के अधीन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 2(छ) के अर्थ के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शामिल गैर अनुदानित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में घोषित किया जाता है कि याचिकाकर्ता इस आशय का शपथ पत्र या वचनपत्र दाखिल करेगा कि याचिकाकर्ता संस्थान छात्रों की पात्रता और याचिकाकर्ता संस्थान में स्थान की उपलब्धता के अधीन मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा। यदि याचिकाकर्ता संस्थान इस आयोग द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर इस आयोग के उपरोक्त आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो एमएससी प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका स्वतरू ही खारिज हो जाएगी।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन के बाद, तदनुसार अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के मद्देनजर, इस आदेश के अनुरूप वर्तमान याचिका का निपटारा किया जाता है।

अध्याय 9

अल्पसंख्यकों की शिक्षा के एकीकृत विकास के लिए अनुशंसाएं

एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 11 अल्पसंख्यकों के एकीकृत विकास के लिए एनसीएमईआई की सिफारिशों से संबंधित है:

- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त सरकार को सिफारिशें करना; और
- ऐसे उपाय करना जो आयोग के सभी या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

9.1 भारत के संविधान में निहित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के शैक्षणिक अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षोपायों के उल्लंघन के मुद्दों को आयोग द्वारा उठाया जाता है और साथ ही अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को निम्नलिखित के संबंध में जागरूक किया जाता है:

- संविधान का अनुच्छेद 30(1) जो धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम – प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट (पंजीकृत) एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला, जिसमें यह कहा गया कि कानून का प्रस्ताव स्थापित करता है आरटीई अधिनियम, 2009 अनुदानित या गैर अनुदानित अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होता है।
- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार और बचाव जैसे कि प्रवेश में आरक्षण का लागू न होना, अपने शासी निकाय के चयन, शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति, गैर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों और अपने स्वयं के समुदाय के छात्रों सहित अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने में स्वायत्तता आदि।
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों की प्रयोज्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय।
- अनुशासन और शैक्षिक उत्कृष्टता को बनाए रखने और कार्यों को विनियमित करने में राज्य की भूमिका।
- आयोग के कार्य और शक्तियां।

9.2 आयोग उन मामलों पर भी विचार करता है जहां राज्य सक्षम प्राधिकारी और राज्य प्राधिकारी ने एनओसी/एमएससी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है और उचित आदेश पारित करता है जिसमें राज्य सक्षम प्राधिकारी को अपने आदेश की समीक्षा करने का निर्देश दिया जाता है।

अध्याय 10

अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के उल्लंघन या वंचना के मामले

10.1 संविधान का अनुच्छेद 30(1) धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के पास केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मुद्दों पर क्षेत्राधिकार है। वर्तमान में, केंद्र सरकार द्वारा छह अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी अधिसूचित किए गए हैं।

10.2.अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रयोज्यता

प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट (पंजीकृत) एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट याचिका (सिविल) संख्या 2012 का 416 जो 2014 एआईआर एससीडब्ल्यू 2859 और 2014 8 एसएससी 1 में सूचित किया गया) में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह माना कि जहां तक 2009 के अधिनियम (यानी बच्चों का निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009) के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) के तहत शामिल अनुदानित या गैर अनुदानित अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होने का संबंध है, यह संविधान की शक्ति से बाहर है।

कानून का पूर्वोक्त प्रस्ताव स्थापित करता है कि आरटीई अधिनियम, 2009 अनुदानित या गैर अनुदानित अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होता है।

शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय) ने विधायी कार्य विभाग की राय प्राप्त करने के बाद अगस्त, 2014 में स्पष्ट किया कि "गुप्त रखने और शारीरिक दंड पर रोक जैसे नियामक प्रावधान जो अनुच्छेद 30(1) के तहत शैक्षणिक संस्थाएं प्रशासित करने के प्रत्याभूत अधिकारों के सार को प्रभावित नहीं करते हैं, अल्पसंख्यक संस्थाओं पर भी लागू होते हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, ऐसा प्रतीत होता है कि आरटीई अधिनियम में प्रदान किए गए नियामक प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के संदर्भ में अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू हैं।"

10.3 आयोग में इस प्रकार के मामले प्राप्त होने पर आयोग उचित कार्यवाही करता है।

अध्याय 11

सूचना का अधिकार

जानने का अधिकार लोकतंत्र की ''अनिवार्य शर्त'' है। भारत के संविधान ने विशेष रूप से अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देकर लोकतंत्र के सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा किए गए सभी कार्यों को जानने का लोगों का अधिकार शामिल है। यह अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) और अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है।

आयोग के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 4(प) के तहत सभी अनिवार्य जानकारी आयोग की वेबसाइट www.ncmei.gov.in पर उपलब्ध कराई जाती है। मामलों की सांख्यिकी/न्यायालय के निर्णय/वाद सूची/दैनिक आदेश जैसे विवरण नियमित रूप से अपलोड और अद्यतन किए जाते हैं।

जानकारी प्रदान करने और याचिकाकर्ताओं/आवेदकों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आयोग के पास एक समर्पित हेल्पलाइन भी है।

अर्ध न्यायिक संगठन होने के नाते आयोग अनेक याचिकाकर्ताओं, अधिवक्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करता है। आयोग में प्राप्त होने वाले आरटीआई आवेदनों की संख्या हर साल बढ़ रही है।

अवर सचिव श्री आर एस तरार लोक सूचना अधिकारी हैं तथा उप सचिव (एचओडी) श्री बसंत कुमार महंत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं।

2024–25 के दौरान, आयोग को 02 ऑनलाइन अपील सहित कुल 33 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा, आयोग को 01 अपीलें (सीआईसी में दायर अपीलों के नोटिस सहित) प्राप्त हुईं। सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों का निपटारा आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार किया गया।

अध्याय 12

निष्कर्ष

12.1 अनुच्छेद 30 – शिक्षण संस्थाएं स्थापित और संचालित करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार

(1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म पर आधारित हों या भाषा पर, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार होगा। अधिनियम के प्रयोजन के लिए एनसीएमईआई अधिनियम की धारा 2(छ) का तात्पर्य केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय से है।

केंद्र सरकार ने 6 धार्मिक समुदायों अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और जोरास्ट्रियन (पारसी) को अधिसूचित किया है। भाषाई अल्पसंख्यक एनसीएमईआई अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं।

12.2 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (एनसीएमईआई) अधिनियम, 2004 की धारा 2 (सीए) के अनुसार,

''सक्षम प्राधिकारी'' का अभिप्राय अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद की किसी शैक्षणिक संस्था की स्थापना के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रदान करने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है।''

एनसीएमईआई अधिनियम की धारा 10 के प्रयोजनार्थः

- सभी राज्य सरकारों को ऐसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए जो अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के लिए आयोग के पास आती हैं, ष्अनापत्ति प्रमाण पत्रष् प्रदान करने के लिए और एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12 (बी) के प्रयोजन के लिए 'सक्षम प्राधिकारी' नियुक्त करने की आवश्यकता है।
- किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को 'अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र' प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को ''प्राधिकारी'' की नियुक्ति करने की आवश्यकता है।

12.3 शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने और अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार की है। तथापि, अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए कई राज्य सरकारों के पास कोई तंत्र नहीं है और इसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता संस्थाएं आयोग से संपर्क कर रही हैं।

आयोग राज्य प्राधिकारियों से सक्षम प्राधिकारी की नियुक्त करने और उन शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र देनेके आवेदन पर निर्णय लेने के लिए लगातार आग्रह कर रहा है जो एमएससी प्रदान करने के लिए आयोग से संपर्क करते हैं। याचिकाकर्ता संस्थाएं मध्य प्रदेश और केरल की हैं जिन्होंने एमएससी प्रदान करने के लिए राज्य प्राधिकरियों

के साथ–साथ आयोग के पास भी आवेदन किया था, ऐसे मामलों में आयोग ने उन्हें राज्य प्राधिकरियों से संपर्क करने का निर्देश दिया है।

12.4 कुछ राज्य सरकारों के प्राधिकारी सीमित अवधि के लिए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। टीकेवीटीएसएस मेडिकल एजुकेशनल एंड चौरिटेबल ट्रस्ट बनाम तमिलनाडु राज्य, एआईआर 2002 मद्रास उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को ड्राइविंग लाइसेंस की तरह समय–समय पर नवीनीकृत कराने के लिए अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार को यह छूट नहीं है कि वे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने वाले अपने पिछले आदेश की समीक्षा करें, जब तक कि यह नहीं दर्शाया जाता है कि संबंधित संस्था ने अल्पसंख्यक दर्जा की मांग करते समय किसी सारवान तथ्य को दबाया है या परिस्थितियों में कोई मूलभूत परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से पिछले आदेश को रद्द करना आवश्यक हो गया है।

12.5 आयोग की जानकारी में यह आया है कि कई नियामक प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम और विनियम अनुच्छेद 30 (1) के प्रावधानों की पुष्टि नहीं करते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं के नियमन के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानून अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर भी लागू होते हैं। यदि ऐसा कोई कानून या विनियम प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तक्षेप करता है या किसी अन्य तरीके से शैक्षणिक संस्था स्थापित और संचालित करने के अधिकार को कमजोर करता है, तो ऐसे कानून या विनियम उस सीमा तक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे। आयोग इस संबंध में भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के मामलों को लेता है।

12.6. राज्य सरकारों और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ विचार–विमर्श और बातचीत के आधार पर आयोग को ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के पदाधिकारियों को एनसीएमईआई अधिनियम से परिचित कराने और अनुच्छेद 30 (1) पर जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है।

12.7. अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के कार्य को सुव्यवस्थित करने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, आयोग ने सितम्बर 2024 से एमएससी आवेदन पत्र को संशोधित किया है, जिसमें संस्था और पदाधिकारियों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा, आयोग कुछ मामलों में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति से भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट भी मंगाता है।

अनुलग्नक

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

शिक्षा मंत्रालय

(भारत सरकार)

अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र

(सितंबर, 2024 से प्रभावी)

1. (क) संस्था का संचालक : (जो उपयुक्त हो उस पर टिक करें)

- व्यक्ति द्वारा
- ट्रस्ट द्वारा
- सोसाइटी द्वारा

ट्रस्ट/सोसाइटी द्वारा प्रशासित संस्थाओं को एनजीओ दर्पण पोर्टल द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट आईडी प्रस्तुत करना आवश्यक है (http//ngo.india.gov.in)। फॉर्म में दिए गए विवरण एनजीओ दर्पण के संबंधित विवरण से मेल खाने चाहिए। (व्यक्ति द्वारा संचालित संस्था के लिए लागू नहीं)।

क. संस्था का नाम एवं पता

ख. यूडीआईएसई/एआईएसएचई कोड

ग. यूडीआईएसई पोर्टल पर रिपोर्ट कार्ड की प्रति

घ. संस्था की स्थापना का वर्ष

ङ. ट्रस्ट/सोसाइटी के पूर्ण डाक पते के साथ नाम (यह पता ट्रस्ट/सोसाइटी द्वारा एनजीओ दर्पण पर उपलब्ध कराए गए तद्नुरूपी विवरण से मेल खाना चाहिए)।

च. व्यक्ति का विवरण/ट्रस्ट/सोसाइटी के अध्यक्ष या सचिव का विवरण

- नाम
- डाक का पता (पिन कोड के साथ)
- संपर्क नंबर
- ई–मेल आईडी

(छ) संस्थापक सदस्यों/मुतवालियों/ट्रस्टियों के नाम और पते और उनका धर्म

(ज) वर्तमान ट्रस्टियों/मुतवालियों/शासी निकाय के सदस्यों के नाम और पते और उनका धर्म

2. क्या आवेदक संस्था धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित की गई है? धर्म का प्रमाण संलग्न करना होगा (जो उपयुक्त हो उस पर टिक करें)

मुस्लिम	ईसाई	सिख	जैन	बौद्ध	पारसी

3. क्या आवेदक संस्था ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) में निहित प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकारी के पास आवेदन किया है? यदि हां, तो आवेदन की स्थिति प्रस्तुत करें। (जो उपयुक्त हो उस पर टिक करें)

- क्या अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन राज्य प्राधिकारी के पास लंबित है?
- क्या अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया है (यदि हाँ, तो आवेदक को एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12बी के तहत और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) नियमावली, 2006 के तहत आवेदन करना होगा)।
- अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र पहले से ही प्रदान किया जा चुका है।

4. क्या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत राज्य सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन किया गया है? यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें : (एनओसी के लिए दिए गए आवेदन की प्रति भी संलग्न करना आवश्यक है)

   क. आवेदन की तिथि

   ख. पावती/तामील होने का प्रमाण

   ग. आवेदन की स्थितिः (उपयुक्त पर निशान लगाएँ)

      (i) आवेदन लंबित है

      क्या सक्षम प्राधिकारी को अनुस्मारक भेजे गए हैं, यदि हां, तो तारीख बताएं (इस संबंध में अनुस्मारक और प्राप्त उत्तरों की प्रति, यदि कोई हो, भी संलग्न करना आवश्यक है)।

      (ii) राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र

      (iii) क्या आवेदन खारिज कर दिया गया है? (यदि हाँ, तो आवेदक को एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12ए के तहत और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) नियमावली, 2006 के तहत आवेदन करना होगा)।

5. क्या आवेदक संस्था ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए कभी एनसीएमईआई के पास आवेदन किया है? यदि हां, तो कृपया संदर्भ संख्या प्रस्तुत करें। (आयोग के अंतिम आदेश की प्रति संलग्न करना आवश्यक है)

(i) क्या कानूनी प्राधिकारी द्वारा आवेदक संस्था का अल्पसंख्यक दर्जा किसी भी समय वापस ले लिया गया है/रद्द कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रदान करें।

(ii) क्या संस्था की स्थापना के बाद उसके नाम या स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है और यदि ऐसा है, तो कृपया विवरण प्रदान करें।

(iii) क्या अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय सहित किसी न्यायिक मंच से संपर्क किया गया है? यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें और बताएं कि वर्तमान स्थिति क्या है?

6. संस्था से संबंधित विवरण

शिक्षा का स्तरः (जो उपयुक्त हो उस पर टिक करें)

- मदरसा
- प्राइमरी
- सेंकेंडरी
- हायर सेंकेंडरी
- उच्च शिक्षा
- सामान्य डिग्री
- तकनीकी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा शामिल हैं/अन्य (कृपया स्ट्रीम निर्दिष्ट करें)

(क) पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए मौजूदा शिक्षकों/संकायों और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की संख्या, जहां लागू हो

शैक्षणिक वर्ष में शिक्षकों / संकायों और छात्रों की संख्या –							कुल	
	मुस्लिम (क)	ईसाई (ख)	सिख (ग)	जैन (घ)	बौद्ध (ड.)	पारसी (च)	हिंदू +अन्य (छ)	क+ख+ग+ घ+ड.+च+छ
शिक्षक / संकाय								
छात्र								

7. (i) क्या आवेदक संस्था का ट्रस्ट/सोसाइटी भारतीय पंजीकरण अधिनियम/सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है?

7. (ii) ट्रस्ट/सोसायटी के लिए निम्नलिखित संलग्न करना आवश्यक है :

- पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति
- एमओए/न्यास विलेख की प्रति
- संशोधित एमओए/न्यास विलेख (यदि कोई हो) की प्रति

7. (iii) व्यक्ति के लिए निम्नलिखित संलग्न करना आवश्यक है :

- पहचान का प्रमाण
- निवास का प्रमाण
- पिछले तीन वर्षों के लिए आईटीआर (यदि लागू हो)
- संस्था का दस्तावेजी साक्ष्य (स्वत्वाधिकार या कब्जा)

8. केंद्रीय/राज्य बोर्ड या किसी सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या यूजीसी से संबद्ध होने का विवरण (संबद्धता की प्रति संलग्न करें)

- संबद्धता की तिथि
- कब तक वैध है

9. नियामक संस्था द्वारा मान्यता का विवरण (तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान के लिए लागू)

- नियामक संस्था का नाम
- मान्यता कब तक वैध है

10. क्या संबंधित संबंधक/नियामक संस्था द्वारा संस्था को कभी विमान्य किया गया है?

11. क्या संस्था अनुदानित है अथवा गैर अनुदानित है?

घोषणा

मैं, _____ प्रधान/अध्यक्ष/सचिव_____ ट्रस्ट/सोसाइटी की ओर से इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर प्रदान किए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं और यह कि सत्यापन/निरीक्षण पर यदि कोई ब्यौरा झूठा पाया जाता है, तो आयोग संस्था को प्रदान किया गया अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र निरस्त कर देगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

हस्ताक्षर

प्रधान / अध्यक्ष / सचिव
(कृते एवं संस्था की ओर से)

स्थान
तारीख

कृपया नोट करें :

1. अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से भरे गए आवेदन पत्र के पांच सेट जमा करने होते हैं।
2. आयोग भाषाई अल्पसंख्यक के लिए आवेदन पर विचार नहीं करता है।
3. ऐसी आवेदक संस्था जिसका एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन राज्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है, तो आवेदक को एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12ए के तहत और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) नियमावली, 2006 के अनुसार आवेदन करना होता है।
4. ऐसी आवेदक संस्था जिसका एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12बी के तहत अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है, उसे अपील दाखिल करने के लिए प्रक्रिया नियमावली, 2006 के नियम 4 अनुसार आवेदन करना होता है।
5. याचिका दायर करने पर, याचिकाकर्ता के लिए पंजीकृत ६ एडी द्वारा प्रतिवादियों और याचिकाकर्ता को संचार भेजने के लिए विधिवत रूप से टिकट लगा लिफाफा संलग्न करना आवश्यक है।

फार्म नंबर 1

(अपील दाखिल करने के लिए प्रक्रिया नियमावली, 2006 का नियम 4 देखें)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 12ए (1) और 12बी (1) के तहत अपील का ज्ञापन

आयोग के कार्यालय के प्रयोग के लिए

दायर करने की तिथि .....

डाक से प्राप्त होने की तिथि .....

पंजीकरण नंबर .....

हस्ताक्षर सचिव

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक षैक्षणिक संस्था आयोग में

..... अपीलकर्ता

..... प्रतिवादी

अपील का ब्यौरा :

1. (क) संस्था का नाम एवं पता

   (ख) ट्रस्ट/सोसाइटी के अध्यक्ष/सचिव का नाम और पता

2. क्या अपीलकर्ता संस्था का दावा धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक पर आधारित है?

3. आवेदक संस्था किसके द्वारा स्थापित या प्रशासित है :

   (क) धार्मिक अल्पसंख्यक, या

   (ख) भाषाई अल्पसंख्यक

4. नोटिस भेजने के लिए पता सहित प्रतिवादी (प्रतिवादियों) के विवरण

5. अपील के अधीन आदेश का विवरण :

   (i) आदेश संख्या

   (ii) आदेश की तिथि

   (iii) उस प्राधिकारी का नाम, जिसके आदेश को अपील में चुनौती दी गई है

6. सीमा – अपीलकर्ता यह भी घोषणा करता है कि यह अपील अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के भीतर है।

7. मामले के तथ्य और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश – मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं :

(यहां तथ्यों का संक्षिप्त विवरण और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश के खिलाफ़ अपील के आधार प्रदान करें)

8. मामला किसी अन्य आयोग, आदि के पास लंबित नहीं है – अपीलकर्ता यह भी घोषणा करता है कि जिस मामले के बारे में यह अपील की गई है, वह किसी कानूनी आयोग या किसी अन्य प्राधिकरण या किसी अन्य अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है।

9. मांगी गई राहत – उपरोक्त पैरा 8 में वर्णित तथ्यों के मद्देनजर अपीलकर्ता, अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करता है : (कृपया नीचे अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई राहत के बारे में बताएं)

10. अनुक्रमणिका का ब्यौरा – डुप्लिकेट में अनुक्रमणिका संलग्न है जिसमें ऐसे दस्तावेजों का विवरण है, जिन पर भरोसा किया जाना है।

11. संलग्नकों की सूची :

सत्यापन

मैं, ... (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... इसके द्वारा यह सत्यापित करता हूँ कि पैरा 1 से 11 की सामग्री मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और मैंने कोई सारवान तथ्य नहीं छिपाया है।

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख
स्थान

सक्षम प्राधिकारी का विवरण

क्र. सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (ख) के तहत प्राधिकरण
1.	**आंध्र प्रदेश**	**सचिव,** अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, तीसरी मंजिल, आंध्र प्रदेश सचिवालय, वेलगापुडघि, अमरावती, आंध्र प्रदेश	**सचिव,** अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, तीसरी मंजिल, एपी सचिवालय, वेलागपुडी, अमरावती, एपी
2.	**अरुणाचल प्रदेश**	**सचिव,** शिक्षा विभाग, सिविल सचिवालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश–791 111	**उप सचिव (शिक्षा),** सिविल सचिवालय, शिक्षा शाखा, ब्लॉक नंबर 1, तीसरा तल, डाकघर इटानगर – 791 111
3.	**असम**		**संयुक्त सचिव,** उच्च शिक्षा विभाग, असम सचिवालय, ब्लॉक सी, सचिवालय परिसर, दिसपुर, गुवाहाटी–6, असम
4.	**बिहार**	**कक्षा (पहली से 8वीं) के लिए – 1 निदेशक,** प्राथमिक शिक्षा, पटना, बहार–800015 **कक्षा (9वीं से 12वीं) के लिए – 2 निदेशक,** माध्यमिक शिक्षा, पटना, बिहार	**सचिव** मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, सचिवालय, पटना, बिहार

क्र. सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (ख) के तहत प्राधिकरण
		कॉलेज और विश्वविद्यालय – 3 निदेशक, उच्च शिक्षा, पटना, बिहार **शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान – 4** निदेशक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार **तकनीकी संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान – 5** निदेशक, उच्च शिक्षा, पटना, बिहार **स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान – 6** **निदेशक,** उच्च शिक्षा, पटना, बिहार **अन्य विभाग के अंतर्गत शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान – 7** **निदेशक (प्रशासन),** शिक्षा विभाग, बिहार, पटना	
5.	**छत्तीसगढ़**	**आयुक्त,** आदिम जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, नवा रायपुर, भूतल, इंद्रावती भवन, छत्तीसगढ़ – 492015	
6.	**गोवा**	**प्रमुख सचिव (गृह)** गृह विभाग (सामान्य), सचिवालय, पोरवोरिम – गोवा–403521	**सचिव (गृह)** सचिवालय, पोरवॉरिम – गोवा

क्र. सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (ख) के तहत प्राधिकरण
7.	**गुजरात**	**निदेशक,** **प्राथमिक शिक्षा,** डॉ जीवराज मेहता भवन, दूसरी मंजिल 12/1, गांधीनगर, गुजरात **उप निदेशक,** स्कूल निदेशालय, पुराना सचिवालय, ब्लॉक 9/1, गांधीनगर, गुजरात **उच्च शिक्षा निदेशक,** उच्च शिक्षा आयुक्त का कार्यालय, द्वितीय तल, ब्लॉक नंबर 12,डॉ. जीवराज मेहता भवन, गांधीनगर – 382012, गुजरात **तकनीकी शिक्षा आयुक्त,** तकनीकी शिक्षा आयुक्त का कार्यालय ब्लॉक नंबर 2, छठी मंजिल, कर्मयोगी भवन, सेक्टर–10ए, गांधीनगर–382010	**निदेशक,** **प्राथमिक शिक्षा,** डॉ जीवराज मेहता भवन, मंजिल 12/1, गांधीनगर, गुजरात **स्कूल आयुक्त,** ब्लॉक नंबर 9–1, डा. जीवराज मेहता भवन, गांधीनगर, गुजरात – 382010 **तकनीकी शिक्षा आयुक्त** दूसरा मंजिल, ब्लॉक नंबर 2, डा. जीवराज मेहता भवन, गांधी नगर–382010
8.	**हरियाणा**	**चिकित्सा संस्थानों के लिए** हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग **सामान्य महाविद्यालयों के लिए अपर मुख्य सचिव** हरियाणा सरकार, उच्च शिक्षा विभाग	**वित्त आयुक्त और प्रमुख सचिव** शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, सिविल सचिवालय, चंडीगढ़, हरियाणा – 160 001

क्र. सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (ख) के तहत प्राधिकरण
		तकनीकी संस्थानों के लिए **प्रमुख सचिव,** हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग **स्कूलोंध्प्राथमिक विद्यालयों के लिए** प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग ***कृपया एनओसी आवेदन दाखिल करने के संबंध में हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 25 जुलाई 2023 का संदर्भ लें।**	
9.	**हिमाचल प्रदेश**	**निदेशक,** उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला–1, हिमाचल प्रदेश	
10.	**झारखंड**	**निदेशक,** प्राथमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, एमडीआई बिल्डिंग, डाकघर धुर्वा, जिलारांची–834004	**निदेशक,** उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला–171001, हिमाचल प्रदेश **निदेशक,** तकनीकी शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार, तीसरा तल, योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरंडा रांची, झारखंड–834002

क्र. सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (ख) के तहत प्राधिकरण
			निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, रांची
11.	**कर्नाटक**	**अपर मुख्य सचिव,** शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), कर्नाटक सरकार, छठी मंजिल, बहुमंजिला इमारत, बेंगलुरु – 560001	**प्रमुख सचिव,** शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) कर्नाटक सरकार छठवां तल बहुमंजिला भवन, बेंगलुरु, कर्नाटक – 560001
12.	**केरल**	**निदेशक,** अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, केरल सरकार, चौथी मंजिल, विकास भवन, तिरुवनंतपुरम – 695033	**सचिव,** सामान्य शिक्षा विभाग, केरल सरकार, कमरा नंबर 302, तीसरी मंज़लि, एनेक्सी II सरकारी सचिवालय
13.	**मध्य प्रदेश**	**आयुक्त,** पिछडघ वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, द्वितीय तल, विद्याचल भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश **'कृपया एनओसी आवेदन दाखिल करने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 16 फरवरी 2018 का संदर्भ लें।**	**सचिव,** पिछडघ वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, कमरा नंबर 339, मंत्रालय, भोपाल, मध्य प्रदेश

क्र. सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (ख) के तहत प्राधिकरण
14.	**महाराष्ट्र**	**संयुक्त सचिव,** अल्पसंख्यक विकास विभाग, कमरा नंबर 715, मंत्रालय (एनेक्सी), मुंबई–32	**संयुक्त सचिव,** अल्पसंख्यक विकास विभाग, कमरा नंबर 715, मंत्रालय (एनेक्सी), मुंबई–32
15.	**मणिपुर**		**अपर मुख्य सचिव,** (अल्पसंख्यक मामले/ओबीसी एवं एससी) मणिपुर सरकार, कमरा नंबर 198, सचिवालय साउथ ब्लॉक, इंफाल वेस्ट, मणिपुर – 795001
16.	**मेघालय**	**सचिव,** शिक्षा विभाग,मेघालय सरकार, अतिरिक्त सचिवालय, मेघालय शिलांग – 793001	**सचिव,** शिक्षा विभाग,मेघालय सरकार, अतिरिक्त सचिवालय, मेघालय शिलांग – 793001
17.	**मिजोरम**	**सचिव,** जिला परिषद एवं अल्पसंख्यक मामले विभाग, मिजोरम सरकार, कमरा नंबर 124/125, मिजोरम सचिवालय, माइनको, खतला, आइजोल, मिजोरम	**आयुक्त एवं सचिव,** स्कूल शिक्षा विभाग, मिजोरम सरकार, मिशन वेंग, आइजघेल, मिजोरम – 796001
18.	**नागालैंड**	**अपर निदेशक (एचओडी),** स्कूल शिक्षा, नागालैंड स्कूल शिक्षा निदेशालय, नागालैंड, कोहिमा – 797001	**अपर निदेशक (एचओडी),** स्कूल शिक्षा, नागालैंड स्कूल शिक्षा निदेशालय, नागालैंड, कोहिमा – 797001
19.	**उड़ीसा**	**निदेशक,** प्रारंभिक शिक्षा, 5वां तल, एचओडी बिल्डिंग, यूनिट ट, भुबनेश्वर–01, खोर्धा, ओडिशा	**प्रधान सचिव** स्कूल और मास शिक्षा विभाग, उडघीसा सरकार, सचिवालय, भुवनेश्वर, ओडिशा – 751001

क्र. सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (ख) के तहत प्राधिकरण
		निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, छठा तल, एचओडी बिल्डिंग, यूनिट ट, भुवनेश्वर, खोर्धा, ओडिशा	
20.	**पंजाब**	**उच्च शिक्षा विभाग** **अपर मुख्य सचिव,** उच्च शिक्षा और भाषाएँ, पंजाब पंजाब सिविल सचिवालय–II, सेक्टर–9ए, चंडीगढ़ **माध्यमिक शिक्षा शाखा विभाग** **शाखा निदेशक,** लोक शिक्षण (एसई) पंजाब, ब्लॉक ई, विद्या भवन, चौथा तल कॉम्प्लेक्स, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, सेक्टर 62, एसएएस नगर ।	**सचिव** **उच्च शिक्षा विभाग,** कमरा नंबर 510, 5वीं मंजिल, मिनी सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़ secy-se@punjab-gov-in **चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग** **अपर मुख्य सचिव** कमरा नंबर 510, 5वीं मंजिल, पंजाब सिविल सचिवालय–II, सेक्टर–9, चंडीगढ़
21.	**राजस्थान**	**अपर मुख्य सचिव,** अल्पसंख्यक मामले एवं वक्फ विभाग, कमरा नंबर 2007, मुख्य भवन, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान । ईमेलः secyma@rajasthan-gov-in	**अपर मुख्य सचिव,** अल्पसंख्यक मामले एवं वक्फ विभाग, कमरा नंबर 2007, मुख्य भवन, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान । ईमेलः secyma@rajasthan-gov-in
22.	**सिक्किम**	**अपर मुख्य सचिव,** मानव संसाधन विकास विभाग, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ताशिलिंग सचिवालय, गंगटोक, पूर्वी सिक्किम, भारत – 737101	

क्र. सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (ख) के तहत प्राधिकरण
23.	**तमिलनाडु**	**प्रमुख सचिव,** स्कूल शिक्षा विभाग, तमिलनाडु सरकार, रीना रोड, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु – 600009 **प्रमुख सचिव,** उच्च शिक्षा विभाग, तमिलनाडु सरकार, रीना रोड, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु – 600009 **सचिव,** विधि शिक्षा विभाग, नामक्कल कविगनर मालिगई, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु – 600009 **आयुक्त एवं प्रमुख सचिव,** कृषि विभाग,नामक्कल कविगनर मालिगई, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु – 600009 **सचिव,** स्वास्थ्य और कल्याण विभाग, नामक्कल कविगनर मालिगई, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु – 600009	**प्रमुख सचिव,** स्कूल शिक्षा विभाग, तमिलनाडु सरकार, रीना रोड, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु – 600009 **प्रमुख सचिव,** उच्च शिक्षा विभाग, तमिलनाडु सरकार, रीना रोड, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु – 600009 **सचिव,** विधि शिक्षा विभाग, नामक्कल कविगनर मालिगई, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु – 600009 **आयुक्त एवं प्रमुख सचिव,** कृषि विभाग, नामक्कल कविगनर मालिगई, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु – 600009 **सचिव,** स्वास्थ्य और कल्याण विभाग, नामक्कल कविगनर मालिगई, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु – 600009

क्र. सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (ख) के तहत प्राधिकरण
24.	**त्रिपुरा**	**सचिव,** अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सचिवालय भवन, न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अगरतला	**सचिव,** अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सचिवालय भवन, न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अगरतला
25.	**तेलंगाना**	**सचिव,** अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कमरा नंबर 17, भूतल, डॉ. बी. आर. अंबेडकर, तेलंगाना सचिवालय, हैदराबाद–500 022	**सचिव,** अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कमरा नंबर 17, भूतल, डॉ. बी. आर. अंबेडकर, तेलंगाना सचिवालय, हैदराबाद–500 022
26.	**उत्तर प्रदेश**	**उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए** **अपर मुख्य सचिव,** उच्च शिक्षा, कमरा नंबर 3, नवीन भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ – 226001 **तकनीकी शिक्षा संस्थाओं के लिए** प्रमुख सचिव, कमरा नंबर 63, नवीन भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ–226001 **व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं के लिए** प्रमुख सचिव, कमरा नंबर 11, भूतल, नवीन भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ–226001 **माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षण संस्थानों के लिए** अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बापू भवन, सातवां तल, लखनऊ – 226001	**उप निदेशक,** अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, छठा तल, इंदिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

क्र. सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (ख) के तहत प्राधिकरण
		बेसिक शिक्षा के लिए **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,** बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, विद्या भवन, निशांतगंज, लखनऊ – 226007 **चिकित्सा शिक्षा के लिए** अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, हजरत गंज, जनपथ रोड, विकास भवन, लखनऊ – 226001 **आयुष शिक्षण संस्थानों के लिए** **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,** आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार तीसरी मंज़िल, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ – 226001 **अरबी फघरसी मदरसा संस्थानों के लिए** **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,** अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, कमरा नंबर 620, छठी मंज़िल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226020	

क्र. सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (ख) के तहत प्राधिकरण
27.	**उत्तराखंड**	**सचिव,** उच्च शिक्षा, उत्तराखंड सरकार, कमरा नंबर 13, प्रथम तल, सुभाष चंद्र बोस भवन, उत्तराखंड सचिवालय **निदेशक,** उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, ए.टी.एस. अधोईवाली के पास, देहरादून	**निदेशक,** उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, ए.टी.एस. अधोईवाली के पास, देहरादून
28.	**पश्चिम बंगाल**	**आयुक्त,** अल्पसंख्यक मामले एवं मदरसा शिक्षा विभाग, ''नबन्ना'' 325, शरत चटर्जी रोड, हावडघ – 711102 (पश्चिम बंगाल) **विशेष सचिव,** उच्च शिक्षा विभाग, विकास भवन, छठवीं मंजिल, कोलकाता – 700091	**आयुक्त,** अल्पसंख्यक मामले एवं मदरसा शिक्षा विभाग, ''नबन्ना'' 325, शरत चटर्जी रोड, हावडघ – 711102 (पश्चिम बंगाल) **विशेष सचिव,** उच्च शिक्षा विभाग, विकास भवन, छठवीं मंजिल, कोलकाता – 700091
29.	**अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह**	**अधिकारी समिति,** जो प्रशासन का आदेश संख्या 3593 दिनांक 16.11.2015 के माध्यम से गठित की गई है, सचिवालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर	**सचिव (शिक्षा),** अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर

क्र. सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (ख) के तहत प्राधिकरण
30.	**चंडीगढ़**	**निदेशक,** स्कूल शिक्षा, चंडीगढ़ अतिरिक्त डीलक्स बिल्डिंग, प्रथम तल, सेक्टर–9, चंडीगढ़ – 160009 फोन नंबर –0172–2747407 Email: dpi&chd@nic-in	**निदेशक,** स्कूल शिक्षा, चंडीगढ़ अतिरिक्त डीलक्स बिल्डिंग, प्रथम तल, सेक्टर–9, चंडीगढ़ – 160009 फोन नंबर –0172–2747407 Email: dpi&chd@nic-in
31.	**दादरा एवं नगर हवेली**	–––––	–––––
32.	**दमन एवं दीव**	**निदेशक (शिक्षा),** सचिवालय, मोती दमन	**सहायक निदेशक (शिक्षा),** शिक्षा निदेशालय, नानी दमन
33.	**दिल्ली**	**निदेशक,** शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कमरा नंबर 12, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली – 110054	**सहायक शिक्षा निदेशक (एसीटी),** शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कमरा नंबर 214–ए, पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054 **शिक्षा निदेशक,** उच्च शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5, श्यामनाथ मार्ग, दिल्ली – 110054
34.	**जम्मू एवं कश्मीर**	–––––	–––––
35.	**लद्दाख**	–––––	–––––

क्र. सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (ख) के तहत प्राधिकरण
36.	**लक्षद्वीप**	**शिक्षा निदेशक,** शिक्षा विभाग, कवरत्ती, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप ईमेलः askerupsc@gmail-com	एमएससी मामलों में सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने के लिए गृह मंत्रालय से आदेश लंबित है।
37.	**पुडुचेरी**	**स्कूल स्तर की शिक्षा संस्थाओं के लिए** सचिव (शिक्षा), मुख्य सचिवालय, नंबर 1, गौबर्ट एवेन्यू, बीच रोड, पुडुचेरी – 605001 **उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर,** राज निवास, पुडुचेरी – 605001	